



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229996
CG-DL-E-27092021-229996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]
No. 289]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

मामला सं. [एडी (ओआई) - 29/2020]

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड्स के आयातों से संबद्ध पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/34/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड्स" (जिसे आगे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम और नियमावली के तहत पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड

(जिसे आगे यहां "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से एक आवेदन पत्र (जिसे आगे यहां "याचिका" भी कहा गया है) प्राप्त किया। आवेदक अर्थात् मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड ने आवेदन पत्र में निर्धारित सूचना दी है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्ति करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/34/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्रवाई से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों तथा निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 30 सितंबर, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दें और लिखित रूप में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध पर, हितबद्ध पक्षकारों को समय-समय पर 20 दिसंबर, 2020 तक उनके प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करने के लिए समय दिया है।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:
 - i. मैसर्स झेजियांग योंगहे रेफ्रिजरेट कंपनी लिमिटेड
 - ii. मैसर्स द केमोर्स 3एफ फ्लोरोकेमिकल्स (चांगशु) कंपनी लिमिटेड
 - iii. मैसर्स निन्हुआ ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - iv. मैसर्स सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड
 - v. मैसर्स झेजियांग सनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
 - vi. मैसर्स जिबो फीयुआन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - vii. मैसर्स सिनोकेम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - viii. मैसर्स जिहुआ योंघे फ्लोरोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
 - ix. मैसर्स हांगजो जूमिंग इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - x. मैसर्स डोंगयांग वीहुआ रेफ्रिजरेट कंपनी लिमिटेड

- xi. मैसर्स झेजियांग कुझोउ लियानझोउ रेफ्रिजरेट कंपनी लिमिटेड
- xii. मैसर्स लू शी केमिकल (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- xiii. मैसर्स द केमोर्स केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
- xiv. मैसर्स डाइकिन अरकेमा रेफ्रिजरेट एशिया लिमिटेड
- xv. मैसर्स झेजियांग लैंटियन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन फ्लोरो मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
- xvi. मैसर्स फ्लुओ शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
- xvii. मैसर्स बीजिंग स्ट्रैटेज केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- xviii. मैसर्स जिबो फीयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xix. मैसर्स झेजियांग फोटेक इंटरनेशनल कंपनी
- xx. मैसर्स सिनोकेम लैंटियन फ्लोरो मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
- xxi. मैसर्स झेजियांग ओरिएंट मल्टीटेक्स आई/ई कंपनी लिमिटेड
- xxii. मैसर्स एस प्रॉस्पर कॉर्पोरेशन
- xxiii. मैसर्स डायनीक लिमिटेड
- xxiv. मैसर्स डाइकिन फ्लोरोकेमिकल्स (चीन) कंपनी लिमिटेड
- xxv. मैसर्स जियांगशी ली एंड मैन केमिकल लिमिटेड
- xxvi. मैसर्स एससी निंगबो इंटरनेशनल लिमिटेड
- xxvii. मैसर्स शेडोंग हुआन न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
- xxviii. मैसर्स लियानचेंग रुइजिन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- xxix. मैसर्स झेजियांग कुहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड।

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों और उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिया है तथा निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और/अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत/दायर किये हैं।

- i. मैसर्स जिबो फीयुआन केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
- ii. मैसर्स झेजियांग कुझोउ लियानझोउ रेफ्रिजरेट कंपनी लिमिटेड (उत्पादक और निर्यातक)
- iii. मै. शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. (उत्पादक और निर्यातक)
- iv. मै. सिनोकेम लानतियान ट्रेडिंग कं. लि.(ट्रेडर)
- v. मै. सिनोकेम लानतियान फ्लुओरो मैटेरियल्स कं. लि.(उत्पादक और निर्यातक)
- vi. मै. सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकंग) कं. लि. (उत्पादक और निर्यातक)
- vii. मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इंडी. कं. लि. (उत्पादक और निर्यातक)
- viii. मै. फ्लुओ शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. (निर्यातक)।

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी:

- i. मैसर्स गोरखराम हरिबक्स
- ii. मैसर्स किरो रेफ्रिजरेट्स प्राइवेट लिमिटेड।
- iii. मैसर्स स्टैलियन इंटरप्राइजेज
- iv. मैसर्स मंगली पेट्रोकेम लिमिटेड

- v. मैसर्स अजय एयर प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
- vi. मैसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड
- vii. मैसर्स स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड
- viii. मैसर्स कूलमेट रेफ्रिजरेट प्रा. लिमिटेड
- ix. मैसर्स चिलाएयर सॉल्यूशंस
- x. मैसर्स मिहामा इंडिया प्रा. लिमिटेड
- xi. मैसर्स वैल्यू रेफ्रिजरेट प्राइवेट लिमिटेड
- xii. मैसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xiii. मैसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड
- xiv. मैसर्स विजय पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
- xv. मैसर्स श्रवण इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. मैसर्स सिकेलन केमिकल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
- xvii. मैसर्स रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xviii. मैसर्स मेक्सफ्लोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xix. मैसर्स टी.टी. इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- xx. मैसर्स वीट्रॉन इंटरनेशनल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट (कुंशन) कंपनी लिमिटेड
- xxi. मैसर्स एओन 9 स्टार फ्यूचर प्रा. लिमिटेड
- xxii. मैसर्स यूनिक जनरल ट्रेडर
- xxiii. मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स।
- xxiv. मैसर्स हिंदुस्तान रेफ्रिजरेशन स्टोर्स
- xxv. मैसर्स कूल केम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
- xxvi. मैसर्स कूलेन रेफ्रिजरेट।

ज. प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिये हैं और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के प्रत्युत्तर/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

- i. मै. एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आयातक)
- ii. मै. स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)
- iii. के.डी. संसा।

ट. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण दस्तावेजों को वास्तविक रूप से लाने ले जाने पर प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से पहुंच में नहीं थी।

ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) मानी गई है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि मानी गई है।

ड. प्राधिकारी ने जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त किये और लेनदेनों की उचित जांच के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया।

- ढ. घरेलू उद्योग और उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- ण. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे यहां एनआईपी कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 30 जून, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, दायर करें। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें अपने खंडन पेश करने की सलाह दी गई थी।
- थ. नियमावली के अनुसूचन में, प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जो 10.9.2021 को प्रकटीकरण विवरण के रूप में इसके अंतिम परिणामों के आधार का निर्माण करेगा और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर अपनी टिप्पणियां करने के लिए 16.9.2021 तक के समय की अनुमति दी गई। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर, संगत समझे जाने की सीमा तक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इस अंतिम परिणाम में उनका उल्लेख किया गया है।
- द. जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर वर्तमान जांच में साक्ष्य के साथ समर्थित और संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- ध. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की परिशुद्धता से संतुष्ट होने पर, जो यथासंभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संगत मानी गई सीमा तक सत्यापन किया।
- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- प. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है।
- फ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार मानी गई सूचना को दर्शाते हैं।
- ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।
- ग. **विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और समान वस्तु**
4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:
- “3. विचाराधीन उत्पाद “हाइड्रोफ्लूरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड्स है। 407 और 410 के अतिरिक्त, सारे ब्लैंड्स बहिष्कृत हैं।”

“4. एचएफसी ब्लैंड्स आर-407 और आर-410 रंगहीन, गंधहीन गैसों हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन निहित हैं। उन्हें आर-22 जैसे सीएफसी और एचसीएफसी के लिए ओजोन-फ्रैंडली प्रतिस्थापनों के रूप में विकसित किया गया था, जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं और जिन्हें रेफ्रीजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ये दो मुख्य अंतिम प्रयोग आवासीय एयर कंडीशनिंग और हीट पम्पस, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रीजरेशनों, ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रीजरेशन और प्रोसेस रेफ्रीजरेशन उदा. फूड प्रोसेसिंग और केमिकल मैन्यूफैक्चरिंग है। आर-407 का प्रयोग मुख्य रूप से आवासीय एयर कंडीशनर्स, लाइन कमर्शियल एयर कंडीशनर्स और मीडियम टेम्परेचर कमर्शियल रेफ्रीजरेशन सिस्टम में किया जाता है। आर-410 के प्रमुख अंतिम प्रयोग में रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, चिलर्स और हीट पंप्स शामिल हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 38247800 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गए हैं:-

- क. क्षति विश्लेषण के लिए उत्पादों के सबसे छोटे समूह/रेंज के चयन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई क्रियाविधि उपलब्ध नहीं करायी गई है। जांच में विचाराधीन उत्पाद “एचएफसी संघटक” और “आर-134ए” भी रेफ्रीजरेशन गैस हैं जिन्हें “उत्पादों के सबसे छोटे समूह/रेंज” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- ख. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 दर्शाती है कि उपभोक्ता शिकायतों में से 13 प्रतिशत फ्लोरोकेमिकल व्यापार में थी जिसमें विचाराधीन उत्पाद भी शामिल है और यह दर्शाता है कि उत्पाद की गुणवत्ता खराब है जिससे उन्हें विचाराधीन उत्पाद के गुणवत्ता ग्रेड और विशेषता ग्रेड का उत्पादन करने से रोका जा सके।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के पैकड और अनपैकड प्रकार की लागत और कीमत में अंतर 20-30% का होता है। याचिका में पाटन और क्षति का दावा करते समय सामानों के लिए ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। प्राधिकारी को उनकी अलग से तुलना करनी चाहिए और अलग मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किए हैं:-

- क. 407 और 410 के अलावा, अन्य सभी ब्लैंड्स बहिष्कृत हैं।
- ख. आर-407 और आर-410 के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल आर-32, आर-125 और आर-134ए है।
- ग. दोनों एचएफसी ब्लैंड्स पर एक वस्तु के रूप में विचार किया जाना चाहिए। पिछली जांच में यूएस प्राधिकारी ने एचएफसी ब्लैंड्स को एक उत्पाद माना है।
- घ. आवेदक ने आयातित उत्पादों की समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- ड. जहां तक उत्पादों के सबसे छोटे समूह/रेंज के चयन के तर्क का संबंध है, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना केवल संबद्ध वस्तुओं से संबंधित है, और यह तर्क कानूनी आदेश से परे है।
- च. वार्षिक रिपोर्ट में सिर्फ एक विवरण, जिसमें बहुत से उत्पाद, यहां तक कि फ्लोरोकेमिकल व्यापार के भीतर भी शामिल हैं, यह स्थापित करने का आधार नहीं हो सकता कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद निम्न गुणवत्ता के हैं। प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि आयातित विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में किस प्रकार उत्कृष्ट गुणवत्ता का है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लूरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड्स है। 407 और 410 के अलावा सभी ब्लैंड्स बहिष्कृत हैं।"
8. एचएफसी ब्लैंड्स रंगहीन, गंधहीन गैसे हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन निहित हैं और जिनको आवासीय और कामर्शियल एयर कंडीशनिंग व्यवस्था में लो-टू-मीडियम तापमान रेफ्रीजरेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। आवासीय एयर कंडीशनिंग और हीट पम्प, व्यावसायिक एयर कंडीशनिंग, व्यावसायिक रेफ्रीजरेशन, ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रीजरेशन और प्रोसेस रेफ्रीजरेशन अर्थात फूड प्रोसेसिंग और केमिकल मैनुफैक्चरिंग में दो प्रमुख अंतिम प्रयोग हैं। जांच के प्रयोजनार्थ एचएफसी ब्लैंड्स को एकल वस्तु समझा जाता है।
9. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क शीर्ष संख्या 38247800 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
10. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादों के सबसे छोटे समूह/रेंज के चयन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच केवल एचएफसी ब्लैंड्स आर-407 और आर-410 से संबंधित है। घरेलू उद्योग ने एचएफसी ब्लैंड्स आर-407 और आर-410 से संबंधित क्षति विश्लेषण के लिए पर्याप्त और त्रुटिहीन सूचना उपलब्ध करायी है और प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
11. जहां तक आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की निम्न गुणवत्ता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। इसके अलावा, डीएसएम इंडेमिट्सु बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2009(119) ई.एल.टी.308], के मामले में, माननीय अधिकरण ने नोट किया है कि घरेलू समान उत्पाद से भिन्न उत्पाद के रूप में आयातित उत्पाद पर विचार करने के लिए गुणवत्ता में अंतर प्रासंगिक मानदंड नहीं हो सकता।
12. जहां तक विचाराधीन पैकड और अनपैकड उत्पाद के पृथक पाटन मार्जिन के तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने अनपैकड रूपों के लिए पृथक मार्जिन निर्धारित किया है क्योंकि निर्यात अनपैकड रूपों में आते हैं।
13. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया है और कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और उसकी स्थिति**घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-
 - क. रेंज में भी कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग के हिस्से को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सिर्फ यह विवरण कि विवरणों की अनुपस्थिति में वे प्रमुख समानुपात स्थापित नहीं करते, उसकी स्थिति को स्थापित नहीं करता।
 - ख. समर्थक द्वारा कोई डाटा या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सिर्फ समर्थन का पत्र पर्याप्त नहीं है। व्यापार नोटिसों 13/2018 और 14/2018 के अनुसार जीएफएल द्वारा उपलब्ध कराए जाने के लिए जरूरी सूचना दायर नहीं की गई है। प्रचालन पद्धतियों की नियमावली के पैरा 4.9.20 पर भी भरोसा किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक, अर्थात् मै. एसआरएफ, भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय उत्पादन में 'प्रमुख समानुपात' के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए, पात्र घरेलू उद्योग में स्थापित हैं।

ख. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है और जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार अपने उत्पादन के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी है।

ग. आवेदक ने जांच की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।

घ. आवेदक संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध नहीं है।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

17. यह आवेदन पत्र मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का एक और उत्पादक भी है अर्थात् मै. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। एक संप्रेषण भारत में विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र अन्य घरेलू उत्पादक- गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएफएल) को भेजा गया था। कंपनी ने आवेदन के समर्थन द्वारा प्रत्युत्तर दिया है और अपने उत्पादन के बारे में सूचना प्रदान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्डों के आधार पर आवेदक घरेलू उद्योग है और भारतीय उत्पादन के प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है, जैसाकि नीचे सारणी से देखा जा सकता है:

विवरण	पीओआई में उत्पादन	उत्पादन में हिस्सा (%)	उत्पादन में हिस्सा (रेंज)
कुल एचएफसी ब्लैंड्स (आर-407सी और आर-410ए)			
एसआरएफ (याचिकाकर्ता)	***	***	55-65
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड	***	***	35-45
कुल भारतीय उत्पादन	***	100%	100%

18. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने जांच की अवधि में संबद्ध देश से न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही यह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है।

19. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है तथा मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

20. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. याचिका का अगोपनीय रूपांतर अनुबंध क (क्षति विवरण) और अनुबंध 4 (लागत सूचना) के उत्तर में कोई सूचना प्रस्तुत न करके नियमावली, संगत व्यापार सूचनाओं और हितबद्ध पक्षकारों के रक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है।

- ख. प्रतिवादी अत्यधिक गोपनीयता के कारण डीआई की लागत और अन्य विवरणों पर कोई टिप्पणी करने में अक्षम है। डीआई की याचिका का एनसीवी गोपनीय पाठ की अनुकृति नहीं है। एडी कानून के पूर्ण उल्लंघन के कारण, जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। डीआई ने अधूरी याचिका दायर की है क्योंकि आवेदन प्रोफार्मा का भाग VI पूरी तरह से गलत है। डीआई ने संबंधित पार्टी सौदों पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने वैध कारणों के बिना और नियमावली के उल्लंघन में व प्राधिकारी की कार्य-प्रक्रिया के बिना बहुत सी सूचना गोपनीय रखी है। सामान्य मूल्य के मदवार विवरणों, निर्यात कीमत के लिए समायोजनों का प्रमाण, लाभ/हानि और प्रतिशतांक संदर्भ में नियोजित पूंजी पर आय, कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन, कुछ उत्पादन में हिस्से, मजदूरियों के विवरणों को गोपनीय रखा गया है।
- घ. प्रतिवादियों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है और गोपनीयता का दावा केवल अनुमति के अनुसार किया गया है। गोपनीयता का दावा नियमों के तहत ऐसे कारण प्रदान करके, जो घरेलू उद्योग द्वारा अनुमत नहीं है। जिबो फ्यूयुआन ने लागत और कीमत प्रदान की है तथा भारत को निर्यात का पीबीआईटी गोपनीय पाठ में उपलब्ध कराया है।
- ड. गोपनीयता के प्रति डीआई की आपत्ति प्रश्नावली उत्तर की उचित समीक्षा के बिना है। डीआई ने विनिर्माण प्रक्रिया के लिए भी गोपनीयता का दावा किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. शानडोंग डांगयुए केमिकल कं. लि., सिनोकेम लेंटियान ट्रेडिंग कं. लि. सिनोकेम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (तैकांग) कं. लिमिटेड और सिनोकेम लेंटियान फ्लोरो मैटिरियल कं. लिमि. ने अपने संबंधित पक्षकारों पर सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया है जिसके द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा उनकी जांच करने से रोका है और संबंधित असहयोगी पक्षकारों को प्राधिकारी के नोटिस में लाए हैं।
- ख. सभी उत्तर देने वाले निर्यातक, जिन्होंने व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन किया है, गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना की उचित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में सूचना के प्रकटन में विफल रहे, पश्चावली उत्तर में सभी प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे और पब्लिक डोमेन में दी गई सूचना के परस्पर विरोधी उत्तर उपलब्ध कराए हैं।
- ग. निर्यातक प्राधिकारी की कार्य-प्रणाली और अभ्यास का पालन करने में असफल रहे हैं।
- घ. हालांकि, के.डी. संस, स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमि. ने स्वयं को पंजीकृत करने की औपचारिकता पूरी की है, वे घरेलू उद्योग को अपने अनुरोध/प्रश्नावली उत्तरों के अगोपनीय पाठ का परिचालन करने में विफल रहे हैं, जिसके द्वारा उन्होंने नियमों को और प्राधिकारी के अभ्यास, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और इसलिए उन पर हितवद्ध पक्षकार के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
- ड. लागत निर्धारण संबंधी सूचना एक व्यापार स्वामित्व संबंधी सूचना है और सारांश में संशोधन योग्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमि. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया/निर्दिष्ट प्राधिकारी और नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेशों का संदर्भ दिया है और उन पर भरोसा किया है।
- च. अनुबंध-क सहित याचिका का अगोपनीय पाठ नियम 7, व्यापार नोटिस सं. 1/2013 और 10/2018 के अनुसार है।
- छ. डीजीसीआईएंडएस आंकड़े तृतीय पक्षकार के आंकड़े हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए घरेलू उद्योग प्राधिकृत नहीं है। इसे व्यापार सूचना 7/2018 का पालन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। चीन से 'पीईटी रेसिन' संबंधी पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम पर विश्वास किया गया है। सभी हितवद्ध पक्षकारों को छांटे गए और न छांटे गए आंकड़े दोनों को प्रदान करने का घरेलू उद्योग पर कोई दायित्व नहीं है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।"

23. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन एक प्रतियोगी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन का सूचना की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा जो किसी जांच के लिए पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है, उचित कारण बताए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा ऐसा माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना वह सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

24. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इसके बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता पर दावे को अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए।

25. स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड, और एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आयातक प्रश्नावली के उत्तर के अनुरोध करने के संबंध में, यह देखा जाता है कि इन कंपनियों ने अगोपनीय रूपांतर के रूप में गोपनीय अनुरोधों का एक सार्थक सार उपलब्ध नहीं कराया है।

26. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आंकड़ों को भारत में निर्यातक देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आंकड़े प्राप्त कर सकता है और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपना स्वयं का दावा दर्ज कर सकता है। प्राधिकारी मानते हैं कि आयात आंकड़ों को साझा करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में निर्धारित की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए छांटे गए आयात आंकड़ों को हार्ड कॉपी में साझा किया जा सकता है। और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से लेनदेन आयात आंकड़ों द्वारा कच्चे सौदों से सौदों आयात आंकड़ों की मांग करने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार की मांग कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण, छांटे गए आयात आंकड़ों की एक स्कैन की गई प्रति को निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा/शपथ-पत्र के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ बनाया गया था। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया सतत हैं, सभी पक्षकारों और जांचों में एक समान है और हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर देती है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के दोनों समूहों ने समान सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और अभी तक समान सूचना पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता का उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इन कारणों के निमित्त दावा की गई गोपनीय सूचना को सामान्यतः गोपनीय आधार पर दायर किए जाने की अनुमति दी जाती है। चूंकि प्राधिकारी ने पूर्व में ऐसी सूचना पर गोपनीयता की अनुमति दी है, अतः वर्तमान मामले में भी इसकी अनुमति दी गई है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार प्रथा को समाप्त करना पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य नहीं है और यह घरेलू उद्योग को कीमतें बढ़ाने के लिए अनुमति देगा।
- ख. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान लागतों में अपनी अत्यधिक वृद्धि का प्रतिकार करने के लिए एक नीतिपरक निर्णय के रूप में व्यापार उपचार का उपयोग करता है और इसकी जांच की जानी चाहिए।
- ग. याचिकाकर्ता ने चीन जन.गण. में उत्पादकों और निर्यातकों पर आक्रमण करने, लाभों को अधिकतम करने और एकाधिकार संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों के लिए प्राधिकारी से संरक्षण की अनुचित मांग की है। आर-134ए पर एडी और एस एस आर जांचों और एचएफसी संघटक आर-32 के आयातों पर एडी जांच पर एडी जांचों के संदर्भ दिए गए हैं।
- घ. नियम 5(3) की अनिवार्यता को पूरा नहीं किया गया है। 'प्रथम दृष्टया' और 'पर्याप्त' दो पूरी तरह से भिन्न शब्द हैं और परस्पर विनिमय योग्य नहीं हैं। केवल पर्याप्त गुणवत्ता का साक्ष्य 'पर्याप्त साक्ष्य' को स्थापित करता है। याचिका मुख्य रूप से अनुमानों और परिकल्पनाओं पर आधारित है और एक तार्किक निष्कर्ष निकालने में विफल है और इसलिए जांच शुरुआत कानून में गलत है। मैक्सिको –पाइप्स और ट्यूब्स, कनाडा से लंबर, यूएस-साफ्टवुड, गुएटेमाला से –सीमेंट II मामलों में पैनल रिपोर्ट में संदर्भ दिए गए हैं।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका दर्शाती है कि क्षति अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कृत्रिम क्षति को स्थापित करने और अनुचित संरक्षण प्राप्त करने के लिए क्षमता में वृद्धि की गई है।
- च. पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना अंतिम प्रयोक्ताओं और डाउन स्ट्रीम उद्योग को प्रभावित करेगा जो मूल्यवर्धित उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कच्चे माल पर निर्भर है, जिसके लिए अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आजीविका की जबरदस्त हानि, एमएसएमई द्वारा निर्यातों में कमी, विनिर्माताओं के बीच बाजार विषमता और उत्तम गुणवत्ता वाले माल की सीमित उपलब्धता होगी।
- छ. शुल्क, यदि कोई हो, को लागू करने से पूर्व सार्वजनिक हित पर विचार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक हित शुल्क को लागू न किए जाने में है।
- ज. एसआरएफ लाभ को अधिकतम करने के लिए चीन जन.गण. से उत्पादकों और निर्यातकों पर आक्रमण के लिए एडी और अन्य अनुचित व्यापार उपचारों का प्रयोग कर रहा है। वे पहले ही विभिन्न उत्पादों पर अनुचित संरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- झ. सिनोकेम लेंटियान के संबंधित पक्षकार ने व्यापार नोटिस 5/2018 में दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग ने केवल 11 महीनों के लिए आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं न कि जांच की पूरी अवधि के लिए। चूंकि, डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों और छांटे गए आयात आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, घरेलू उद्योग के लिए आयात आंकड़ों में हेरफेर करना बहुत आसान है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:**

- क. संबंधित पक्षकारों जिन्होंने यूएस जांच में उत्तर दिया था, ने जानबूझ कर वर्तमान जांच में उत्तर न देने को चुना है और इसलिए उत्तर देने वाले पक्षकारों अर्थात् शानडोंग डोंगयुए केमिकल कं. लि., झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं. लिमिटेड को असहयोगी माना जाना चाहिए, पृथक मार्जिन से इंकार किया जाना चाहिए और उनके वित्त संबंधित पक्षकारों को विलंब से प्रश्नावली उत्तर दायर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- ख. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का प्रयोजन व्यापार विकृतियों को दूर करना और व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना है। यह किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा या उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
- ग. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की ओर से न्यूनतम सहभागिता और प्रयोक्ता व प्रयोक्ता एसोसिएशनों से उल्लेखनीय हिस्सेदारी की अनुपस्थिति दर्शाती है कि वे शुल्कों को लगाए जाने की स्थिति में किसी विपरीत प्रभाव के बारे में विचार नहीं करते। तैयार उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत न्यूनतम है और अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं डालती।
- घ. आवेदक एक उचित और निष्पक्ष खिलाड़ी है और उस पर विश्वास किया जा सकता है कि वे उपलब्ध उपचारों का लाभ नहीं उठाएंगे और वे शायद ही कभी पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की मांग करते हुए प्राधिकारी के पास पहुंचें हैं। यह देखा जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित लगभग 71 उत्पादों में से अभी तक केवल 4 उत्पादों पर घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क संरक्षण प्राप्त हुआ है।
- ङ. आवेदक ने क्षति अवधि से पूर्व उत्पादन आरंभ किया था और अभी तक बाजार में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है और प्राधिकारी तक पहुंचने का उन्हें पूरा अधिकार है। चीनी उत्पादकों का बाजार में प्रभुत्व है और उसका अभिप्राय भारत में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त करना है, जिसके पश्चात् उपभोक्ता पूरी तरह से विदेशी उत्पादकों की दया पर निर्भर होगा।
- च. वर्तमान स्थिति द्विअधिकार बाजार की है जहां केवल चीन जन.गण. और घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसलिए चीन जन.गण. द्वारा कोई भी अनुचित कीमत निर्धारण घरेलू उद्योग पर सीधा प्रभाव डालेगा।
- छ. नियम 5 और 6 की अनिवार्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया गया है। यह एक भली-भांति स्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता जांच की प्रगति में सुधार करती है। जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए प्रदत्त पर्याप्त सूचना निर्धारण किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। इसी के साथ, निर्धारण के लिए जरूरी समझी गई सूचना पर जांच शुरुआत के समय जोर दिए जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, प्रतिवादी इस मामले में मैक्सिको स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स मामले में पैनल के जांच परिणामों को उद्धृत करने में चूक है।
- ज. जहां तक कृत्रिम क्षति को स्थापित करने के लिए क्षमता में वृद्धि करने का संबंध है, कोई भी कंपनी किसी पाटनरोधी मामले के लिए कृत्रिम क्षति स्थापित नहीं करेगी।
- झ. नियम 5 और 6 की अनिवार्यताओं को समुचित रूप से पूरा किया गया है। यह एक भली-भांति स्थापित सिद्धांत है कि जांच की प्रगति के रूप में साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होता है। जांच शुरुआत के उद्देश्य के लिए पर्याप्त मानी गई सूचना निर्धारण के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। इसी समय, निर्धारण के लिए जरूरी समझी गई सूचना पर जांच शुरुआत के समय जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मैक्सिको – स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मामले में प्रतिवादी पैनल के जांच परिणाम को उद्धरित करने में चूक गए हैं।
- ञ. जहां तक कृत्रिम क्षति को स्थापित करने की क्षमता में वृद्धि करने का संबंध है, कोई भी कंपनी किसी पाटनरोधी मामले के लिए कृत्रिम क्षति को स्थापित करने में निवेश नहीं करेगी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया है और निम्नानुसार निर्धारित किया है:

- क. जहां तक कृत्रिम क्षति की स्थापना और घरेलू उद्योग द्वारा नियमों के तहत अनिवार्यताओं को पूरा न किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच तथ्यों की जांच किए जाने और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही आरंभ की गई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पन्न कृत्रिम क्षति के उनके दावों को पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं किया है।
- ख. जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के बारे में दिए गए तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कैसे पाटनरोधी शुल्क उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने वाली सूचना प्रस्तुत की है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रयोक्ता उद्योग पर न्यूनतम होगा। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत न्यूनतम है और इसका अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यह मानते हुए कि 1 टन क्षमता वाले किसी एयर कंडीशनर की लागत लगभग 40,000 रुपए है, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त एचएफसी ब्लैंड्स की मात्रा 1 कि.ग्रा. से कम होनी चाहिए। यह मानते हुए कि 1 कि.ग्रा. एचएफसी ब्लैंड्स की लागत लगभग 200 रुपए है, तैयार उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ता पर विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत अल्प होगी।
- ग. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है, यहां तक कि यदि यह माना जाए कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं, अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए अपेक्षित राशि तक प्रतिबंधित हो। पाटनरोधी उपाय लगाए जाने का उद्देश्य पाटन परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना; घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकना और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है।
- घ. जहां तक घरेलू उद्योग को अत्यधिक संरक्षण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं। इसके अतिरिक्त, किसी उत्पाद पर कितनी बार शुल्क लगाया अथवा बढ़ाया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है।
- ड. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका दायर करने में केवल 11 माह के आंकड़ों के उपयोग का संबंध है, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में निर्यात कीमत के अपने मूल्यांकन में पूरी जांच की अवधि के लिए आयात आंकड़ों, परिणामस्वरूप वर्तमान निर्धारण में पाटन मार्जिन और क्षति मानदंडों पर विचार किया है।
- च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार बनाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन वैश्विक स्तर पर चीन, अमेरिका, भारत और जापान में किया जाता है। उत्पाद को विभिन्न देशों से स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से चीन से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

छ. पाटन का आकलन – क्रियाविधि और मानदंड**सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण****छ.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध****31. अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:**

- क. हालांकि, निर्यातों का एक गैर- महत्वपूर्ण भाग एक असंबंधित निर्यातक के जरिए भी किया गया था, सहयोगी निर्यातक के जरिए किए गए निर्यातों का हिस्सा पृथक मार्जिन निर्धारण के लिए सीमा से अधिक है।
- ख. निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को प्रतिवादियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पैकड और अनपैकड प्रकारों की पृथक तुलना की जानी चाहिए।
- ग. इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की संगणना करते समय 'सरोगेट कंट्री' की क्रियाविधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या चीन को एक बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है, भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था क्रिया विधि का प्रयोग करते हुए सामान्य मूल्य की संगणना के लिए कोई आधार नहीं है।
- घ. पाटनरोधी जांच के लिए चीन के साथ किसी अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए, एक ऐसा विचार जो हाल तक अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा साझा किया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर प्रदान करें, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य का परिकलन करें और इस जांच में समान देश के आंकड़ों को लागू करने के बजाय सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस उत्तर में लागत और कीमतों के आधार पर आंकड़े लागू करें।
- ड. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना स्वैच्छिक रूप से सामान्य मूल्य निर्मित किया है और घरेलू उद्योग द्वारा ईष्टतम क्षमता का उपयोग न करने के द्वारा इसे बढ़ाया है। शेनटांग मत्सुशिता में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि - अनिवार्य प्रक्रिया न अपनाए जाने के मद्देनजर कार्यवाहियां जारी नहीं रह सकतीं। घरेलू उद्योग द्वारा पाटन मार्जिन का दावा इसे बढ़ाने के लिए निर्मित सामान्य मूल्य के कारण है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:**

- क. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का पालन तभी करेंगे जब उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत की सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है यदि वे यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमत सूचना को अपनाया जा सकता है, प्राधिकारी पृथक पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकृत कर देंगे।
- ख. चूंकि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के हकदार नहीं हैं, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-1 के पैरा 7 का पालन किया जा सकता है।
- ग. चूंकि, इस कारण बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में निर्मित मूल्य या कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रासंगिक सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, आवेदक भारत में भली-भांति समायोजित, अदायगी योग्य कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा करते हैं।
- घ. संबद्ध देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, आवेदक ने भली-भांति समायोजित और विक्रियों, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों एवं उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के पश्चात घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को लिया है।

- ड. आवेदक ने सीआईएफ कीमत ली है और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार और वैट के निमित्त इसे समायोजित किया है।
- च. संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि पर्याप्त भी है।
- छ. प्रचालन पद्धतियों की नियमावली के पैराग्राफ 16.26 के अनुसरण में, असहयोगी असंबंधित निर्यातक के जरिए निर्यात के हिस्से की जांच की जानी चाहिए, और यदि यह महत्वपूर्ण पाया जाता है, तो प्रतिवादी उत्पादक को असहयोगी माना जाना चाहिए। यदि उन का हिस्सा निर्धारित सीमा से कम है तो निर्यात कीमत सभी बिक्रियों के लिए परिकलित की जानी चाहिए और अनुपस्थित मात्राओं के लिए प्रतिकूल तथ्यों को लागू किया जाना चाहिए।
- ज. निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को घरेलू उद्योग की टिप्पणियों और ऐसी सूचना की पर्याप्तता और शुद्धता को सुनिश्चित करने के पश्चात् निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- झ. चूंकि, किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिस्थिति का दावा नहीं किया गया है, सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना पर आधारित किया जाना चाहिए।
- ञ. चीन जन.गण.एक्सेशन प्रोटोल के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहा है और बाजार द्वारा कीमतों को निर्धारित किए जाने की अनुमति देने के लिए विकृतियों को दूर करने में अक्षम रहा है। यह इस कारण से है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन सहित, डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों ने भी चीन को गैर-बाजार अर्थ-व्यवस्था के रूप में मानना जारी रखा है।
- ट. घरेलू उद्योग ने एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार उचित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण किया है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य के दावे पर बहस करने के लिए कोई सूचना या सामान्य मूल्य की संगणना के लिए कोई वैकल्पिक क्रिया विधि उपलब्ध नहीं करायी है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

33. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) वशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

34. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर दायर करके इस जांच में सहयोग किया है:

- क. मैसर्स झेजियांग कुझोउ लियानझोऊ रेफ्रिजरेटर्स कं. लि.(निर्माता और निर्यातक)
- ख. मैसर्स जिबो फेईयुआन केमिकल कंपनी लिमिटेड (निर्माता)
- ग. मैसर्स शेडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड (निर्माता और निर्यातक)
- घ. मै. सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकंग) कं. लि. (निर्माता और निर्यातक)
- ङ. मै. सिनोकेम लानतियान फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि.(निर्माता और निर्यातक)
- च. मै. सिनोकेम लानतियान ट्रेडिंग कं. लि.(ट्रेडर)
- छ. मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इंडी. कं. लि. (निर्माता और निर्यातक)
- ज. मैसर्स फ्लुओ झेजियांग शंघाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कं. लिमिटेड (निर्माता और निर्यातक)।

35. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिये अनुसार किया गया है।

छ.4 चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

36. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

37. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क) (i) के अंतर्गत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

38. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

छ.5 चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

39. नियमावली के अनुबंध-1 का पैरा 7 निम्नलिखित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबद्ध पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत न तो आवेदक अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही किसी भी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर एक उपयुक्त देश का चयन करना अपेक्षित है। यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं दी है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनाया जा सके। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान नहीं की है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनाया जा सकता था। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से जांच की अवधि में पीयूसी का आयात शून्य है, जो दर्शाता है कि पीयूसी मुख्य रूप से भारत और चीन जन.गण. में निर्मित है। इस प्रकार, प्राधिकारी की राय है कि उपलब्ध एकमात्र विकल्प समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है। इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन की इष्टम लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.6 निर्यात कीमत का निर्धारण**झेजियांग कुझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजरेट कं. लि. (निर्माता/निर्यातक)**

41. झेजियांग कुझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजरेट कं. लि. ("लियानझोऊ") चीन जन.गण. के कंपनी कानून के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी है और चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। कंपनी ने सभी प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित प्रारूप में प्रदान की है। जांच की अवधि के दौरान, लियानझोऊ ने असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को सीधे तौर पर बिना पैक के रूप में ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकारी ने दे दी है। लियानझोऊ ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्कों और क्रेडिट लागत के लिए समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति प्राधिकरण ने दी है। लियानझोऊ ने आर 407सी और आर410 ए के लिए अलग-अलग जानकारी प्रदान की है।

जिबो फैवान केमिकल कं. लि., (निर्माता/निर्यातक)

42. पीओआई के दौरान जिबो फैवान केमिकल कं. लि., चीन ने दो ग्रेडों को बिना पैक किए रूप में सीधे निर्यात किया है। कुल मिलाकर, कम्पनी ने ***एमटी की मात्रा का निर्यात किया है। निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और प्रहस्तन व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है जिसकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। यथा निर्धारित भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन अंतर तालिका में दी गई है।

शेंडोंग डोंग्यू केमिकल कं. लि.(निर्माता/निर्यातक)

43. पीओआई के दौरान, शेंडोंग डोंग्यूई केमिकल केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को बिना पैक के सीधे ***एमटी पीपीसी का निर्यात किया है। शेंडोंग डोंग्यू केमिकल कं. लिमिटेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह और अन्य संबंधित के कारण समायोजन का दावा किया है, जिसे प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। तदनुसार, शेंडोंग डोंग्यू केमिकल कं. लिमिटेड के लिए कारखाना-बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं., लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), सिनोकेम लानतियान फ्लुओरो मैटेरियल्स कं. लि. (निर्यातक/व्यापारी) और सिनोकेम लैटियन ट्रेडिंग कं. लि. (घरेलू विक्रेता)

44. पीओआई के दौरान, सिनोकेम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल (ताइकांग) कं., लिमिटेड चीन जन.गण. ने भारत को बिना पैक किए सीधे रूप में ***एमटी निर्यात किया है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि सिनोकेम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लिमिटेड की एक संबंधित कंपनी, सिनोकेम लैटियन फ्लोरोमैटेरियल्स कं., लिमिटेड ने बिना पैक के रूप में भारत को सीधे ***एमटी निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है, जिनकी अनुमति प्राधिकारी ने दी है। तदनुसार, सिनोकेम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कं. लिमिटेड के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कंपनी लि. (उत्पादक/निर्यातक) और फ्लुओ शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि. (संबंधित निर्यातक)

45. पीओआई के दौरान, झेजियांग सनमेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे झेजियांग सनमेई केमिकल इंडस्ट्री कम्पनी लिमिटेड, और साथ ही इसके संबंधित निर्यातक, फ्लुओ द्वारा निर्यात किया गया है। जांच की अवधि के दौरान, झेजियांग सनमेई केमिकल इंड. कं. लिमिटेड ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का *** एमटी सीधे और *** एमटी अपने संबंधित निर्यातक फ्लुओ शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कं. लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया है। सभी निर्यात बिना पैक किए रूप में हैं। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, समुद्री बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया गया है जिसकी अनुमति प्राधिकारी ने दी है। तदनुसार समूह के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन.गण. से असहयोगी निर्यातक

46. चीन जन. गण. के किसी अन्य निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का परिकलन नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूचित किए गए आयातों और उत्पादकों एवं निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर पर विचार किया है।

छ.7 पाटन मार्जिन का निर्धारण

47. यह नोट किया गया है कि संबद्ध जांच में, कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी का यह सतत अभ्यास रहा है कि संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक एकल इकाई के रूप में माना जाए और इस प्रकार उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन स्थापित किया जाए। इसका कारण यह है कि अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना से पाटनरोधी उपायों की धोखाधड़ी को बढ़ावा मिल सकता है, इस प्रकार, संबंधित निर्यातकों/उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के साथ कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को भेजना है।
48. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में माना गया है और एक एकल पाटन मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया है जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत आधार पर की गई थी।
49. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक	सीएनवी (यूएसडॉ./एमटी)	एनईपी (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1.	झेजियांग क्युझोऊ लियान झोऊ रेफ्रिग्रेंट्स कं. लि.	***	***	***	***	100-110
2.	जिबो फियुआन केमिकल कं.लि .	***	***	***	***	60-70
3.	शेडोंग डोंग्यू केमिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
4.	मै. सिनोकैम एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (टाइकांग) कं. लि. तथा सिनोकैम	***	***	***	***	70-80
5.	झेजियांग सनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि.	***	***	***	***	75-85
6.	अन्य सभी	***	***	***	***	100-110

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

50. क्षति और कारणात्मक के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे कोई क्षति नहीं हुई है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात और कथित पाटन के बीच घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के संदर्भ में देखे जाने पर पाटन पर दावों और पहुंच कीमत में गिरावट का कोई अर्थ नहीं है।

- ख. मूल कच्चे माल की कीमत (फ्लोरस्पायर) में वृद्धि पर याचिकाकर्ता के दावे की जांच की जरूरत है। बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई संख्या का उपयोग स्पष्ट रूप से पाटन मार्जिन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका कोई आधार नहीं है। पूर्वी चीन में फ्लोरस्पायर की डिलीवरी कीमत के बारे में उपलब्ध जानकारी 2016-17 की अवधि में 2600 युआन/मी.टन से 2019-20 की अवधि में 2700 युआन/मी.टन तक गति दर्शाती है जबकि घरेलू उद्योग ने फ्लोरस्पायर की कीमतों में 100 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया है। चूंकि दो उप-उत्पाद फ्लोरस्पायर से हाइड्रोजन फ्लोराइड के उत्पादन पर उत्पादित होते हैं, इसलिए फ्लोरस्पायर की कीमतों में परिवर्तन संबद्ध वस्तुओं की कीमतों को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। फ्लोरस्पायर की कीमतों में परिवर्तन संबद्ध वस्तुओं की कीमतों को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। फ्लोरस्पायर और संबद्ध वस्तुओं की कीमतों की स्थिति घरेलू उद्योग के समान ही है। घरेलू उद्योग ने स्वयं यह नहीं बताया है कि वह कच्चे माल के रूप में फ्लोरस्पायर का उपयोग करता है।
- ग. चीन के लिए आयात की प्रवृत्ति अतिरिक्त क्षमता के दबाव को नहीं दर्शाती है। मांग के मुकाबले आयात में गिरावट आयी है। आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में काफी वृद्धि हुई है, भले ही कीमत में कटौती का दावा बहुत अधिक है और घरेलू बिक्री में वृद्धि आयात की मात्रा में कहीं अधिक है।
- घ. यदि चीनी उत्पादकों की पाटन की बाध्यता होती, तो घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बाजार हिस्सेदारी, मात्रा और लाभप्रदता मानकों में वृद्धि हासिल नहीं की होती।
- ङ. पहुंच कीमत में गिरावट कार्रवाई योग्य नहीं है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले घरेलू और निर्यात बाजारों के बीच भेदभाव का सवाल है।
- च. घरेलू उद्योग के पास क्षति अवधि के दौरान मांग के किसी भी उचित हिस्से को पूरा करने के लिए पैमाने की मितव्ययिता नहीं थी। कोई मात्रा प्रभाव नहीं है क्योंकि आयातों में सापेक्षिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है और केवल घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई मांग से अधिक मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। क्षमता में वृद्धि से पहले बाजार हिस्सेदारी की हानि वास्तविक क्षति के लिए तथ्यात्मक नहीं हो सकती है।
- छ. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार उनकी ताकत को दर्शाता है और यह क्षति का कोई संकेत नहीं है। क्षमता उपयोग में गिरावट 2017-18 में क्षमता वृद्धि और जांच की अवधि के कारण हुई है।
- ज. जांच की अवधि और पिछले वर्ष में लागत और कीमत के बीच संबंध दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों के नियंत्रण में था। इसी अवधि में लाभ और आरओसीई में सुधार हुआ। लाभप्रदता, लाभ और आरओसीई के संदर्भ में पहुंच कीमत और कथित क्षति के बीच एक विपरीत संबंध है। घरेलू उद्योग ने अपनी मात्रा और लाभप्रदता में वृद्धि की जब कीमत में भारी कटौती हुई। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के साथ कोई संबंध नहीं है।
- झ. निर्यातकों ने कथित रूप से कोई भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण नहीं किया है और अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करते हैं। पहुंच मूल्य में कमी जांच अवधि में स्टॉक को निकाले जाने के कारण है तथा वैश्विक आपूर्ति से वैश्विक मांग पूरी हुई है। चीनी कीमतों ने वैश्विक रुख का अनुसारेण किया। भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए भारी मांग आपूर्ति अंतर है। डीआई रिफिलरों की आपूर्ति न करके व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं में लगा हुआ है और इसलिए, उन्हें आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- ञ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बहुत अधिक हो सकती थी यदि दो नए संयंत्रों के साथ घरेलू उद्योग अपनी इष्टतम क्षमता का उपयोग न करने और मूल्यहास लागतों, ब्याज और मजदूरी तथा अन्य खर्चों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की प्रति यूनिट लागत स्थिर न रही होती।
- ट. प्राधिकारी को स्थायी खपत में गिरावट की सीमा और उसके कारण की जांच करनी चाहिए। यदि स्थायी खपत में इस तरह की गिरावट ने डीआई के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित किया है तो इसे संबद्ध आयातों के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

- ठ. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एनआईपी की गणना के लिए अनुबंध-III (विज्ञापन, अन्य व्यवस्थापक खर्च, अन्य बिक्री और वितरण खर्च, बिक्री पर कमीशन, बिक्री पर छूट/छूट, माल दुलाई और निर्यात संबंधी खर्च) के तहत कई खर्चों की अनुमति नहीं है, माना गया है। एनआईपी पर कारखाना स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।
- ड. ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के आदेश के अनुसार, बिक्री में वृद्धि के संबंध में सूची में वृद्धि देखी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, बिक्री की मात्रा के साथ सूची में वृद्धि हुई है।
- ढ. डीआई की उत्पादकता आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ी है और कोई क्षति नहीं दर्शाती है। क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी स्थिर रही, जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है।
- ण. डीआई बिक्री की लागत से अधिक बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में सक्षम है और इसलिए, कोई मूल्य ह्रास नहीं है। जब जांच की अवधि में लागत में गिरावट आई, तो बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई जिससे हानियों में गिरावट आयी। प्रति यूनिट लाभ में गिरावट और परिणामी कथित क्षति का कारण मूल्यह्रास और व्याज में पर्याप्त वृद्धि है। प्राधिकारी को क्षमता, एनएफए, डब्ल्यूसी, मूल्यह्रास और मूल्य लागत में भिन्न प्रवृत्तियों की जांच करनी चाहिए।
- त. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में कोविड-19 के कारण दाहेज साइट में एक अस्थायी बंद का उल्लेख है, जिसका याचिकाकर्ता, याचिका में उपलब्ध कराने में विफल रहा। जैसाकि वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग को क्षति ऑटो क्षेत्र में लम्बे समय तक और गंभीर मंदी के कारण हुई है और इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- थ. एसआरएफ लिमिटेड के कैमिकल सेगमेंट के पीबीआईटी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता 2016 से लगातार मुनाफा कमा रहा है जो मार्च 2020 में सबसे अधिक था। एसआरएफ लिमिटेड के सीईओ के बयान से पता चलता है कि एसआरएफ के रासायनिक व्यवसाय में 25 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई। रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करने के लिए और वे पूंजीगत निवेश में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जो संभव नहीं होगा, यदि वे घाटे में चल रहे हों।
- द. सकारात्मक कीमत कटौती को क्षति के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है। जिप्सम प्लास्टर बोर्ड का संदर्भ दिया गया था जिसमें यह माना गया था कि केवल सकारात्मक कीमत कटौती के अस्तित्व, प्रति संबद्ध निर्यातक को क्षति अंतर का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ध. आयातों में वृद्धि क्षति का कारण नहीं है क्योंकि यह घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित नहीं है। आयात कीमतों का घरेलू कीमतों और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि आवेदक बाजार में प्रमुख स्थिति में है। डी आई ने अपने खरीदारों को लागत में कमी नहीं दी है और उनकी कीमतों को निर्धारित करता है।
- न. क्षति अवधि के दौरान नए संयंत्रों में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश के कारण उच्च स्थिर लागतों को ध्यान में रखते हुए गैर-आरोपण विश्लेषण किया जाना चाहिए। एक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण वर्तमान जांच में प्राधिकारी कारणात्मक संबंध के अस्तित्व पर कोई निर्धारण नहीं करेगा।
- प. चीन में अधिशेष क्षमता पर तर्क के संबंध में डीआई ने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया है और अधिशेष क्षमता की गणना की पद्धति त्रुटिपूर्ण है और इसमें कोई योग्यता नहीं है जब तक कि भारतीय बाजार के आकर्षण के साथ पुष्टि नहीं की जाती है। सूचना के स्रोत का खुलासा नहीं होने के कारण आरोप भी सारहीन हैं। मूल रूप से यह अप्रासंगिक है। जैसाकि इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में आयोजित किया गया था, केवल अधिशेष क्षमता को डीआई को क्षति के संभावित और आसन्न खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता।
- फ. यूएस में एडीडी लगाना वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है। भावी आयातों की संभावना मूल जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है। धोखाधड़ी के लिए डीआई की स्वयं की जांच की गई थी। इसलिए, डीआई के पास तर्क पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं है। आयात भारत में मांग-पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए है। अमेरिका में एडीडी के कारण आयात में वृद्धि नहीं हुई है और डीआई ने पिछले कुछ वर्षों में केवल लाभप्रदता में सुधार किया है।

- ब. चीन से निर्यात या अतिरिक्त क्षमता या क्षमता में वृद्धि का मतलब अनिवार्य रूप से पाटन नहीं है। डीआई द्वारा रिकॉर्ड में कुछ भी ठोस नहीं रखा गया है। यह देखा गया है कि तीसरे देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है और कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने जांच की अवधि में भारत को निर्यात भी नहीं किया है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन के पास कुल वैश्विक खपत से अधिक क्षमता है। चूंकि सबसे बड़े विदेशी बाजार, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका ने संबद्ध वस्तुओं पर उच्च मात्रा में शुल्क लगाया है, भारत विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है। चीन में अतिरिक्त क्षमता का दबाव न केवल भारतीय उत्पादों बल्कि तीसरे देशों के उत्पादकों को भी प्रभावित कर रहा है।
- ख. फ्लोरस्पर की अंतर्राष्ट्रीय और चीनी कीमतों में वृद्धि, विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख निवेश और उत्पादन की लागत में परिणामी वृद्धि के बावजूद आयातों की पहुंच कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आयी है।
- ग. चीन में उपलब्ध अधिशेष क्षमता के बावजूद निर्यातकों ने अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। फ्लोरस्पर में वृद्धि के बावजूद, निर्यातकों ने अपने बिक्री मूल्य कर कर दिये हैं और भारत में अपने माल को घाटे में बेच रहे हैं। निर्यातक क्षति अवधि और जांच की अवधि में अपना प्राप्त होने वाला राजस्व छोड़ने के बावजूद अपने निर्यात की मात्रा बढ़ा सके हैं।
- घ. संबद्ध देश से आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात का 100 प्रतिशत है। आयातों में पूर्ण और सापेक्षिक रूप में वृद्धि हुई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और उन्हें कम कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी में क्षमता वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में गिरावट आयी है। 2018-19 में जांच की अवधि में मांग-सूची में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल भुगतना पड़ रहा है। लगभग सभी क्षति मानकों में वृद्धि नकारात्मक है और घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता कमजोर हो गई है।
- ङ. जांच की अवधि के दौरान नए संयंत्र की स्थापना से घरेलू उद्योग को इसमें कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि अधिकता बिक्री पुराने संयंत्र में ही हुई है। ब्याज लागत में बढ़ोतरी से घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- च. जहां तक फ्लोरस्पर कीमतों का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना का स्रोत बताए बिना पूर्वी चीन फ्लोरस्पर कीमतों के आधार पर सूचना प्रदान की। ऐसी कीमतें चीन में प्रचलित कीमतों को नहीं दर्शाती हैं। चीनी उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में काम कर रहे हैं। फ्लोरस्पर की कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद उतराई कीमत में गिरावट पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है।
- छ. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में भारी गिरावट ने संबद्ध देश को जांच की अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात का एकमात्र स्रोत बनने की अनुमति दी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर कोई अन्य उत्पादक चीनी कीमतों की बराबरी करने में सक्षम नहीं है।
- ज. घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।
- झ. क्षमता वृद्धि अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्काल निर्णय नहीं है बल्कि बढ़ती घरेलू मांग को बनाए रखने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने अधिकतम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और अधिकांश मानदंड अभी भी गिरावट दर्शाते हैं। इसके अलावा, नए संयंत्र की घरेलू उद्योग की कुल घरेलू बिक्री में 5 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी है और इसलिए घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है।
- ट. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में स्थायी खपत में गिरावट केवल 8 प्रतिशत है और इस प्रकार घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ठ. क्षमता वृद्धि जरूरी नहीं कि उत्पादन की लागत में वृद्धि करे और प्रतिफल कम करे। पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने से, प्रति यूनिट वास्तव में घट सकती हैं जिससे उच्च लाभप्रदता और प्रतिफल प्राप्त होता है। यद्यपि 2017-18

में क्षमता वृद्धि के दौरान यह प्रवृत्ति भी, चीन से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण जांच की अवधि में इसे नहीं देखा गया है।

- ड. वार्षिक रिपोर्ट में बयानों के संबंध में, उत्तरदाता चुनिंदा वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और तथ्यों को अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट समग्र रूप से कंपनी के लिए है न कि विचाराधीन उत्पाद के लिये और क्षति अवधि के दौरान प्रदर्शन में गिरावट के संबंध में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है। जांच की अवधि में कोविड-19 के कारण शटडाउन की अवधि केवल 8 दिन है और यह समग्र रूप से खराब होने का कारण नहीं हो सकता। वार्षिक रिपोर्ट में पाटन के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
- ढ. क्षमता में वृद्धि के कारण ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2017-18 और 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान ब्याज लागत में गिरावट आई है जबकि 2017-18 की तुलना जांच की अवधि के दौरान मूल्यहास लागत में गिरावट आई है।
- ण. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत को घरेलू उद्योग की बिक्री की तुलना में देखे जाने की जरूरत है। पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत से कम रही है। घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के बावजूद आयातों के कीमत स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है।
- त. कीमत में कटौती और सकारात्मक क्षति अंतर यह निर्धारित करने वाले कारकों में से एक है कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा, लगभग सभी आर्थिक मानदंड घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत देते हैं। प्रतिवादी केवल जांच परिणाम के उस हिस्से को उजागर करके और उसे अपने पक्ष में मोड़कर प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
- थ. फ्लोस्फार का उपयोग हाइड्रोजन फ्लोराइड के उत्पादन में किया जाता है जो आर-32 का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कच्चा माल है जो बदले में आर-407 और आर-410 का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। यदि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में उप-उत्पाद उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी लागत उनकी कीमतों को प्रभावित करेगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. घरेलू उद्योग को क्षति और कारणात्मक संपर्क से संबंधित मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है।
53. जहां तक इन अनुरोधों का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति अन्य कारणों से हुई है और घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में दिये गए विवरण के अनुसार कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके तहत किया गया क्षति विश्लेषण व्याख्यात्मक है। यह स्थापित करने के लिए कि ये कथित अन्य कारक प्राधिकारी द्वारा पाई गई क्षति का कारण नहीं हैं।
54. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “.. पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन

55. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में ध्यान में रखा है।

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	559	372	270
अन्य उत्पादक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध				
संबद्ध देश –चीन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	114	136
अन्य देशों से आयात	एमटी	15	165	194	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1100	1293	0
कुल भारतीय मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	144	146

56. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की खपत वाणिज्यिक और आवासीय वातानुकूलित में की जाती है और आर-410 की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि उत्पाद ने आर-22 को बदल दिया है जिसे धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जा रहा है।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
संबद्ध देश- चीन	एमटी	4,840	4,192	5,516	6,580
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	114	136
संबद्ध देश आयात के संबंध में					
कुल आयात	%	100%	96%	97%	100%
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	14	17	37
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	79	93

58. यह नोट किया जाता है कि:

क. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में 2017-18 में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद क्षति अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। जांच की अवधि में संबद्ध आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 100 प्रतिशत हैं।

ख. भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात में 2017-18 में गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद 2018-19 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई थी।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

59. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत ह्रास करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

माह	दर (रु./मी. टन)
माह	1,87,206
2016-17	2,51,090
2017-18	2,96,398
2018-19	2,52,714
अप्रैल' 19	2,36,455
मई' 19	2,16,122
जून' 19	2,20,133
जुलाई' 19	2,19,193
अगस्त' 19	1,95,807
सितम्बर' 19	1,85,944
अक्टूबर' 19	1,65,583
नवंबर' 19	1,75,993
दिसंबर' 19	1,63,617
जनवरी' 20	1,56,581
फरवरी' 20	1,65,460

60. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। इसके अलावा, संबद्ध देश से आयात कीमत में मासिक आधार पर भी गिरावट आई है।

ख. कीमत में कटौती

61. कीमत में कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से भारत औसत आयात कीमत से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों का कटौती प्रभाव निम्नानुसार निकाला जाता है:
62. प्राधिकारी ने पैकड और अनपैकड फार्म के लिए अलग-अलग मूल्य कटौती गणना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और पैकड और अनपैकड उत्पाद की लागत में महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान रखते हुए की है।

कीमत में कटौती-पीओआई	यूनिट	कुल	अनपैकड	पैकड
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	-
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	-
पहुंच कीमत (संबद्ध देश – चीन जन.गण)	रु./एमटी	2,10,519	2,10,519	-
कीमत में कटौती	रु./एमटी	***	***	-

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	-
कीमत में कटौती	%	***	***	-
कीमत में कटौती	रेंज	35-45	35-45	-

63. यह देखा गया है कि पैकड रूप में विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है। इसके अलावा, चीनी आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। मूल्य कटौती की सीमा काफी महत्वपूर्ण है।

ग. कीमत न्यूनीकरण एवं हास

64. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा हास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का हास करने के लिए है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जांच की गई है। निम्नलिखित तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्रियों की लागत – घरेलू उद्योग	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	98	83
निवल बिक्री कीमत – घरेलू उद्योग	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	126	104
पहुंच कीमत	रु./एमटी	2,01,668	2,70,487	3,20,851	2,10,519
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	159	104

65. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई।
- ख. जहां 2017-18 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में गिरावट आई, वहीं 2018-19 में इसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि में फिर से गिरावट आई।
- ग. पूरी क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत भारत में उत्पादन लागत से कम रही है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को बिक्री लागत से नीचे अपनी बिक्री कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

66. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे हैं या कम कर रहे हैं।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

67. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों; पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित भारत की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबद्ध विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

68. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानकों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

69. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	127	216
उत्पादन मात्रा – पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	344	230	218
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	270	181	101
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	558	372	269

70. यह देखा गया है कि:

- क. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए घरेलू उद्योग के पास दो संयंत्र हैं। भिवाड़ी संयंत्र में एचएफसी ब्लैण्ड्स का विनिर्माण वर्ष 2016-17 में आरम्भ किया गया था, जो क्षति अवधि का आधार वर्ष है तथा दाहेज संयंत्र में उत्पादन जांच अवधि के दौरान शुरू किया गया। घरेलू उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता वर्ष 2017-18 में और फिर दुबारा जांच अवधि के दौरान बढ़ायी गई थी।
- ख. घरेलू उद्योग ने क्षमता का विस्तार किया है और यह अनुरोध किया है कि यह विस्तार देश में उत्पाद की वर्तमान एवं संभावित मांग को ध्यान में रखकर किया गया था। तथापि, क्षमता विस्तार दाहेज में किया गया है। इसके अलावा, जबकि भिवाड़ी संयंत्र की वार्षिक क्षमता लगभग ***एमटी थी और दाहेज संयंत्र की लगभग ***एमटी वार्षिक क्षमता के साथ स्थापना की गई है, क्योंकि इसने वाणिज्यिक उत्पादन नवंबर, 2019 (पीओआई के लिए $*** / 12 \times 5 = ***$ एमटी) से शुरू किया था।
- ग. क्षमता उपयोग वर्ष 2017-18 में बढ़ा परन्तु उसके बाद क्षति अवधि में इसमें गिरावट हुई। क्षति अवधि के दौरान यह काफी कम रहा है।
- घ. कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन 27 मार्च, 2016 को शुरू किया था। वर्ष 2016-17 में उत्पादन बहुत ही कम था, वर्ष 2017-18 में इसमें बढ़ोतरी हुई, परन्तु इसके बाद जांच अवधि में क्षमता में बढ़ोतरी होने के बावजूद इसमें गिरावट हुई। तथापि, जांच अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में एक बार दुबारा गिरावट हुई थी।
- ड. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2017-18 में बढ़ोतरी हुई और उसके बाद इनमें काफी गिरावट आयी।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

71. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	484	257	185
अन्य भारतीय उत्पादक	%	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	246	64
चीन जन.गण. से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	79	93
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	964	907	0
कुल	%	100	100	100	100

72. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2017-18 में बढ़ोतरी हुई और उसके बाद वर्ष 2018-19 और फिर जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आयी। संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वर्ष 2017-18 में गिरावट हुई परन्तु उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई। क्षति अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा। संबद्ध देश से हुए आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

iii. मालसूची

73. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
प्रारंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	247	190	195
अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	79	121
औसत स्टॉक	MT	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	111	142

74. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूचियों में वर्ष 2017-18 में बढ़ोतरी हुई है, वर्ष 2018-19 में इनमें कमी हुई है और उसके बाद जांच अवधि के दौरान काफी बढ़ोतरी हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ

75. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ एवं निवेश पर लाभ का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों के मद्देजर कि ब्याज एवं मूल्यहास लागतों में बढ़ोतरी की वजह से लाभों में गिरावट हुई है, लाभप्रदता के बारे में ब्याज और मूल्यहास पूर्व लाभ पर विचार करके भी जांच की गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जबकि ब्याज एवं मूल्यहास में हुई बढ़ोतरी से निवल लाभ में गिरावट हो सकती है, परन्तु ब्याज और मूल्यहास में कथित रूप से बढ़ोतरी होने से ब्याज एवं मूल्यहास पूर्व लाभ प्रभावित नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बढ़ोतरी एवं मूल्यहास के कारणों की जांच की है तथा उत्पादन की सकल लागत के साथ जब तुलना की गई तो क्या इनकी वजह से लागतें काफी अधिक हुई हैं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	रु./एमटी	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	3	-52	-50
लाभ/हानि	लाख रु.	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	19	-195	-134
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	38	-189	-122
पीबीआईटी	लाख रु.	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	33	-198	-129
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	31	-169	-25

76. यह देखा गया है कि:-

- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानियां हो रही हैं। क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता नकारात्मक रही है।
- ख. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि एवं जांच अवधि के दौरान वित्तीय हानियां, नकारात्मक पीबीआईटी, नकद हानियां, और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ हुआ।
- ग. वर्ष 2018-19 तक कर पूर्व लाभ में बढ़ोतरी हुई। हालांकि कर पूर्व लाभ में पीओआई के दौरान गिरावट हुई तथा घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई।
- घ. जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर लाभ नकारात्मक था। यह देखा गया है कि ब्याज के बाद लाभ, और ब्याज पूर्व लाभ का मूल्यहास के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट हुई। अतएव, यह स्पष्ट है कि लाभों, नकद लाभों तथा आरओआई में गिरावट का कारण मौटे तौर पर ब्याज और मूल्यहास में बढ़ोतरी होना नहीं है।
- ड. प्राधिकारी ने लाभों, नकद लाभों तथा आरओआई में पर्याप्त रूप से ऐसी बढ़ोतरी होने के कारणों की जांच की है। यह नोट किया है कि यद्यपि कुछ सीमान्ता गिरावट को ब्याज और मूल्यहास लागतों में हुई बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परन्तु लाभों, नकद लाभों एवं आरओआई में गिरावट मुख्य रूप से विक्रय-मूल्यों में हुई गिरावट की वजह से है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
विक्री कीमत – घरेलू	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	126	104
विक्री की लागत-घरेलू	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	98	83
प्रति यूनिट लाभ(हानि)	रु./एमटी	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	3	-52	-50
मूल्यहास	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	119	184
ब्याज	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	49	59	98

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

77. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिया गया है-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	205	184	167
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	73	72
प्रति यूनिट मजदूरी	रु./एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	80	77
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	407	313	303
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	344	230	218

78. यह देखा गया है कि:

- क. भुगतान की गई मजदूरी में वर्ष 2017-18 में बढ़ोतरी हुई, परन्तु उसके बाद क्षति अवधि और पीओआई के दौरान इनमें कमी आयी।
- ख. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है।
- ग. प्रति व्यक्ति उत्पादकता में वर्ष 2017-18 के दौरान बढ़ोतरी हुई और उसके बाद वर्ष 2018-19 तथा जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आयी। प्रतिदिन उत्पादकता में वर्ष 2017-18 में बढ़ोतरी हुई परन्तु उसके बाद क्षति अवधि और पीओआई के दौरान गिरावट आयी।

79. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को ये मापदण्ड नहीं दर्शाते हैं।

vi. वृद्धि

80. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों की मात्रा, मालसूचियों, लाभों, नकद लाभों तथा निवेश पर लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-	244%	-33%	-5%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100%	-14%	-2%
घरेलू बिक्रियां	वर्ष/वर्ष	-	458%	-33%	-27%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100%	-7%	-6%
लाभा/हानि	वर्ष/वर्ष	-	-119%	-1147%	-31%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100%	964%	26%
आरओसीई	वर्ष/वर्ष	-	-131%	-650%	-85%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100%	496%	65%

81. यह देखा गया है कि पीओआई के दौरान क्षति संबंधी लगभग सभी मापदण्डों में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक थी। इसके अलावा, मात्रा संबंधी मापदण्डों के बारे में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्राधिकारी द्वारा मान्य इष्टतम स्तरों से कम थी। प्राधिकारी ने 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार करके घरेलू उद्योग की एनआईपी का निर्धारण किया है। तथापि, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान केवल 13 प्रतिशत क्षमता उपयोग को ही प्राप्त किया है।

vii. पाटन मार्जिन की मात्रा

82. भारत में किसी सीमा तक आयातों का पाटन किया जा रहा है, पाटन की मात्रा इसकी सूचक होती है। जांच ने यह दर्शाया है कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त मात्रा में हैं।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

83. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान वित्तीय हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ हुआ है, जिससे पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता कमजोर हुई है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

84. जबकि आयातों के पहुंच मूल्य में वर्ष 2018-19 तक बढ़ोतरी हुई, परन्तु जांच अवधि में इसमें गिरावट हुई है। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में भी गिरावट आयी है। अतएव, यह देखा गया है कि आयात की कीमतों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही हैं। यह भी देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम हैं। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि यह आयातों की कीमत कम होने तथा परिणामतः बढ़ते हुए आयातों को ध्यान में रखते हुए यह वर्तमान कीमतों को भी बनाए रखने में भी समर्थ नहीं है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव अथवा प्रतिबंध आयातों की कीमतें कम होने के कारण लगे हैं। इसलिए, यह निर्णय लेने का प्रस्ताव है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने का प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात हैं।

x. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन की मात्रा

85. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और प्रैक्टिसिंग लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबद्ध सूचना/आंकड़ों की विस्तृत जांच के बाद निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय उत्पादन लागत से अलग किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही परिपाटी के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
86. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण पाटन मार्जिन निर्धारण के प्रयोजन के लिए अपनाई गई सीआईएफ निर्यात कीमत से किया गया है। आयात की पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए लागू सीमा शुल्क को जोड़ा गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।
87. यथा उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और वह और यह नीचे तालिका में दिया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएसडॉ./ एमटी)	(यूएसडॉ./ एमटी)	(यूएसडॉ./ एमटी)	(%)	(रेंज)
1.	झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजेंट्स कं. लि.	***	***	***	***	85-95
2.	मैसर्स जिबो फियुआन केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	50-60
3.	शानडोंग डोंग्यू केमिकल कं, लिमिटेड	***	***	***	***	45-55
4.	मै. सिनकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकंग) कं., लिमिटेड और मै. सिनकेम लानतियान फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि.	***	***	***	***	65-75
5.	झेजियांग सनमेई केमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि.	***	***	***	***	65-75
6.	अन्य सभी	***	***	***	***	90-100

ज.3.4 क्षति का विश्लेषण

88. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच तथा घरेलू उद्योग का निष्पादन यह साफ-साफ दर्शाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में वर्ष 2017-18 से गिरावट हुई है लेकिन इसके बाद इनकी निर्बाध रूप से बढ़ोतरी हुई है और क्षति अवधि के दौरान सापेक्ष रूप में यह मात्रा काफी रही है। संबद्ध देशों से आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देश के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रतिबंधित हो रही हैं। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आयी है। घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ हो रहा है। पूर्वाक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-उत्तरदाय विश्लेषण

89. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है जिनसे साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति, यदि कोई है, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है और निम्नानुसार नोट करते हैं:

क) पाटित कीमत पर बिक्री न किए गए आयातों की मात्रा और मूल्य

90. पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 100 प्रतिशत आयात चीन जन.गण. से है। पीओआई के दौरान कोई दूसरा देश भारत के लिए संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं कर रहा है।

ख) मांग में कमी

91. क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। वस्तुतः देश में उत्पाद के लिए वर्तमान और संभावित मांग पर विचार करते हुए, कंपनी ने उत्पादन क्षमताओं में और विस्तार की घोषणा की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

92. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वस्तुगत परिवर्तन नहीं हुआ है। अपितु उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में सुधार हो रहा है, जैसा कि देश में खपत बढ़ने से तथा पहले प्रयोग में लाए गए रेफ्रिजरेट (एचसीएफसी-22) के चरणबद्ध रूप में हुई बढ़ोतरी से स्पष्ट है। अतः खपत के पैटर्न में हुए परिवर्तन की वजह से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

घ) प्रतिस्पर्धा की शर्त और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं उद्योग को हुई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

94. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी के बारे में किसी भी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने 2016 में पहला संयंत्र और अगस्त, 2019 में दूसरा संयंत्र स्थापित किया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

95. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

96. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षति संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं तथा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। इसलिए आवेदक द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
97. अतः प्राधिकारी यह निर्णय करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

98. प्राधिकारी निर्णय करने के लिए यह निर्धारित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पीओआई के दौरान अन्य कारकों की वजह से क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पाटित आयातों की वजह से होती है:
- क. विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच में बढ़ोतरी हुई। तथापि, जांच की अवधि में आयात कीमत में धीरे-धीरे गिरावट हुई। आयात कीमत में धीरे-धीरे गिरावट होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में वर्ष 2018-19 में बढ़ोतरी हुई और फिर पीओआई के दौरान गिरावट हुई। जहां तक वर्ष 2016-17 में घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बिक्री की मात्रा बहुत कम थी तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रमुख रूप से प्रस्तावित आरम्भ की कीमत बनी।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में कमी करने के बावजूद आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से न केवल कम है, अपितु बिक्री की लागत से भी कम है।
- ग. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी प्रतिबंधात्मक प्रभाव हुआ है।
- घ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव से लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, इससे लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और नकारात्मक लाभ हो रहे हैं।
- ड. घरेलू उद्योग की वृद्धि बहुत से आर्थिक मापदण्डों की दृष्टि से नकारात्मक हुई है।
99. अतएव, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ज. प्रकटीकरण के उपरांत विवरण अनुरोध**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

100. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

- क. घरेलू उद्योग के सभी मात्रात्मक मापदंडों में तीव्र विकास दर्शाया गया है, जो कि उत्पाद के लिए क्षमता और मांग में वृद्धि के अनुरूप है। इस प्रकार, आयातों के कारण से कोई मात्रा संबंधी क्षति उत्पन्न नहीं हुई थी।
- ख. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2017-18 को छोड़कर पूरी क्षति अवधि के दौरान और पूरी जांच की अवधि के दौरान वित्तीय हानियों का सामना किया था। विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कम हुई हानि के कारण संबद्ध आयातों के चलते पर्याप्त क्षति का दावा किया गया है। कार्य निष्पादन की सुधार की ट्रेजेक्ट्री में हानियों को, पर्याप्त क्षति की स्थापना के लिए आधार के रूप में नहीं कहा जा सकता।
- ग. आरओसीई और लाभप्रदता के मापदंडों के संबंध में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि दर्ज की गई है। अतः घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान किसी प्रकार की हानि का सामना नहीं किया है। इसके बजाय, घरेलू उद्योग की बढ़ती क्षमता के साथ इसकी स्थिति में सुधार आया। विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मात्रा संबंधी और कीमत संबंधी मापदंडों में सुधार यह दर्शाता है कि कारणात्मक संबंध का उल्लंघन है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि दर्ज की गई है।

- घ. उत्पादक का नाम जिबो फ़ैयुआन कैमिकल कं. लि. है और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन तालिकाओं में सुधार की जरूरत है।
- ड. घरेलू उद्योग की एन सी वी याचिका में गोपनीय पाठ की पुनरावृत्ति नहीं किए जाने के संबंध में कोई जांच/ विश्लेषण अथवा निष्कर्ष नहीं दिए गए हैं और व्यापार सूचना 2019 की क्रमांक 1 के तहत बाध्यता को पूरा करने अथवा जांच की अवधि के 11 माह के लिए आयात संबंधी आंकड़ों का उपयोग करने में विफल हैं। जांच की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़ों और अन्य मापदंडों को, पूरी 12 माह की जांच की अवधि के लिए मानते हुए उन्हें ठीक किया जाना चाहिए।
- च. बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, हितबद्ध पक्षकारों को डीजीसीआई एंड एस के आकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।
- छ. सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय चीन की कंपनियों के ब्यौरों को स्वीकार न करने से चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान अप्रभावी हो जाएंगे। प्रतिवादी कंपनी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से दर्शाता है। चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के प्रस्तावित निर्धारण के संबंध में कोई भी ब्यौरे प्रकट या प्रदान नहीं किए गए हैं।
- ज. घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में हुई पर्याप्त क्षति की कोई उद्देश्यपरक जांच नहीं की गई है। ऐसे सभी अनुरोधों के संबंध में कि कैसे घरेलू उद्योग को कथित आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है, इसका प्रकटीकरण विवरण में शामिल की गई जांच अथवा विश्लेषण नहीं किया गया है।
- झ. प्रकटीकरण विवरण में ब्याज और मूल्यहास के आकड़े नहीं दिए गए हैं, जबकि ये आवेदन प्रोफार्मा का भाग हैं।
- ञ. प्रकटीकरण विवरण में गैर आरोपण विश्लेषण के संबंध में अनुरोधों की जांच अथवा विश्लेषण न किए जाने के संबंध में यह निष्कर्ष दिया गया है कि क्षति का कारण कथित आयात नहीं हैं बल्कि ये अन्य कारकों के प्रभाव के कारण से है। कथित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ट. कोविड के बाद की स्थिति के लिए प्रकटीकरण विवरण में नहीं कहा गया है, जहां पर कि मांग और आपूर्ति में असंतुलन के चलते बाजार की स्थितियों में काफी बदलाव आए हैं। संबद्ध आयात खपत की प्रवृत्ति के अनुसार थे और भारतीय बाजार में मांग की प्राप्ति संबद्ध आयातों में वृद्धि होने के कारण से हैं।
- ठ. जून, 2021 में चीन से आयात की कीमत जांच की अवधि की सर्वाधिक कीमत से अधिक है। जांच की अवधि के बाद आयातों में वृद्धि यह सिद्ध करती है कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय क्षमता दो गुणा होने के बावजूद जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में मांग आपूर्ति अन्तराल है।
- ड. एसआरएफ लिमिटेड का सकारात्मक कार्य निष्पादन, जैसा कि वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के लिए और वित्त वर्ष 2021 के वित्तीय परिणाम से स्पष्ट है, वे यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- ढ. प्रकटीकरण विवरण में भारतीय उत्पादन की प्रवृत्ति में अनिरंतरता और वृद्धियां हैं, जिनके कारण गलत निर्धारण हो रहा है। एचएफसी आर- 32 और एचएफसी ब्लेंड जांच में एसआरएफ लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए कंपनी व्यापी आर्थिक मापदंडों में काफी गलतियां हैं।
- ण. निर्धारित किया गया पाटन और क्षति मार्जिन बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है और निर्यात कीमत – सामान्य मूल्य और गैर-क्षति कीमत – पहुंच मूल्य के बीच कोई भी उपयुक्त तुलना नहीं की गई है। यह अनुरोध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के पैक किए गए और बिना पैक किए गए रूप के लिए अलग विश्लेषण के साथ मार्जिन का निर्धारण करने के लिए बल्क – से - बल्क तुलना की जाए।
- त. निर्मित सामान्य मूल्य और एनआईपी काफी अधिक हैं और अनुचित/ बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया पाटन और क्षति मार्जिन होने से बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे प्रतिस्पर्धी वातावरण को नुकसान होगा और घरेलू रसायन उद्योग प्रतिस्पर्धी कीमत, अच्छी गुणवत्ता के विचाराधीन उत्पाद से वंचित होगा।

- थ. साइनोकैम ग्रुप के लिए भारित औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के लिए की गई गणना गलत है। दोनों प्रतिभागी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की अलग-अलग गणना की जानी है और उसके बाद भारित औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की साइनोकैम ग्रुप के लिए गणना की जानी है।
- द. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण, जांच की अवधि की अलग-अलग तिमाहियों में कीमतों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव आने के कारण कीमतों का तिमाही आधार पर विश्लेषण करके किया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ और सिंगापुर से फिनोल के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच और चीन जन. गण. से विस्कोस स्टेपल फाइबर के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए तिमाही विश्लेषण किया गया था।
- ध. प्रतिवादियों द्वारा भारत को जांच की अवधि की दूसरी और तीसरी तिमाही में ही निर्यात किया गया था, और इसीलिए कम निर्यात कीमत दर्शाई गई है। प्राधिकारी का वर्तमान निर्धारण, तिमाही विश्लेषण के अभाव में एक उचित तुलना को प्रकट नहीं करता।
- न. चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से काफी कम है। उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता और क्षमता उपयोग सहित घरेलू उद्योग के क्षति मापदंडों में सुधार की प्रवृत्ति है। वस्तुसूची में वृद्धि, घरेलू उद्योग की समग्र बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए अपर्याप्त हैं।
- प. ब्याज लागत और मूल्यहास में समग्र वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रकटीकरण विवरण में प्रकट नहीं किया गया है। मूल्यहास लागत और वित्त लागत में वृद्धि, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट के लिए प्राथमिक कारण हैं। 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड प्लेट उत्पादों के संबंध में रक्षोपाय जांच परिणाम और 60 डेनायर से अधिक के विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच का संदर्भ लिया गया है।
- फ. जांच की अवधि में आयातों की कीमत में कमी आने का कारण क्षति जांच की अवधि के दौरान प्रतिवादियों की बिक्रियों की लागत में निरंतर कटौती होने के कारण से है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

101. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- क. स्तेलियन इंडिया फ्लूरोकैमिकल्स प्रा. लि., एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लि. और के. डी. सन्स द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि वे कोई भी अगोपनीय पाठ प्रदान करने में विफल रहे हैं और पक्षकारों को असहयोगी माना जाना चाहिए।
- ख. जहां तक निर्मित सामान्य मूल्य का संबंध है, जहां कहीं भी कैप्टिव इनपुट शामिल है, कैप्टिव इनपुट में तर्कसंगत लाभों को शामिल किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमत को भी अपनाया जाए।
- ग. चूंकि किसी भी प्रयोक्ता अथवा ओ ई एम अथवा प्रयोक्ता एसोसिएशन ने कोई पुष्टि योग्य सूचना दाखिल नहीं की है, जो यह दर्शाता है कि उन पर कोई भी महत्वपूर्ण अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- घ. शुल्कों को लगाने से उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट रहेगी, हो रही क्षति दूर होगी और घरेलू उत्पादक व्यवहार्य तथा प्रतिस्पर्धी होने में सक्षम होंगे और इसीलिए यह उपभोक्ताओं के हित में और जनता के व्यापक हित में है।
- ड. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो उद्योग को आगे क्षति का सामना करना पड़ेगा और परिणामस्वरूप चीन के उत्पादकों के लाभों में वृद्धि होगी जिससे उद्योग समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ताओं को उनके भरोसे पर छोड़ दिया जाएगा। घरेलू उद्योग से खरीद करना, कम वस्तुसूची स्तरों और बिक्री उपरांत की बेहतर सेवा के संदर्भ में उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है।

- च. मोन्ट्रीयल प्रोटोकाल में किगाली संशोधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को, यहां तक कि भारत की समय-सीमा से पूर्व पूरा करने के लिए चीन की बाध्यता विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लिए ही अधिक प्रोत्साहनकारी है जिससे कि फेज डाउन शुरू होने से पूर्व ही अधिक आधार तैयार किया जा सके।
- छ. घरेलू उद्योग ने मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं में वृद्धि की है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और भी क्षमताओं की स्थापना करने की योजना है। पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को न केवल एक समान वातावरण मिलेगा बल्कि पीएसए और जापान से आयातों को बढ़ावा देने में भी बेहतर प्रतिस्पर्धा होगी।
- ज. शुल्कों को लगाना भी भारत सरकार की नीति के अनुसार है क्योंकि केन्द्र सरकार विभिन्न नीतिपरक उपायों के माध्यम से देश में एयरकंडीशनर के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दे रही है।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा निवेशों में वृद्धि होने से अधिक रोजगार मिलेगा, जिसके समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा, यह देश के लिए रणनीतिक महत्व की बात भी है कि वर्ष 2032 में एचएफसी का फेज डाउन शुरू होने से पूर्व व्यवहार्य और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मिले जो तभी संभव होगा, जब उद्योग को पाटन से सुरक्षा प्रदान की जाए।
- ञ. यह पूरे देश के हित में है कि देश के भीतर संतुलित विकास हो और साथ में सतत विकास के लक्ष्यों की भी प्राप्ति हो। घरेलू एचएफसी उद्योग को संरक्षण प्रदान करने में विफलता ऐसी निर्माण आपूर्ति श्रृंखला में एक कमजोर कड़ी रह जाएगी और इसका चीन के निर्माताओं द्वारा फायदा उठाए जाने की संभावना है।
- ट. स्वदेशी निर्माण से बाजार में उत्पाद की कीमत स्थायित्वता, निर्बाध आपूर्ति, विश्वसनीय भागीदार पर निर्भरता, आयात विकल्प, घटते विदेशी व्यापार जोखिम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों की उन्नति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
- ठ. व्यापक व्यापार घाटे और कम होते विदेशी रिजर्व के कारण घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर भरोसा करना और आयात पर निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है। भारत का व्यापार संतुलन पहले ही घाटा दर्शा रहा है। यदि शुल्क नहीं लगाए जाते हैं तो आयातों में वृद्धि होगी और इस प्रकार से आगे चलकर भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- ड. घरेलू उद्योग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और विचाराधीन उत्पाद में काफी निवेश किया है। अतः कैप्टिव इनपुट में काफी मूल्यवर्धन किया गया है।
- ढ. चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आकड़ों के आधार पर है, अतः उसे प्रकट किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को प्रतिभागी निर्यातक को भेजे गए पत्राचार और प्रश्नावली उत्तरों को दाखिल करने और सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, यदि कोई उत्तर हो तो उनके अगोपनीय पाठ को प्रकट करना चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट किया है कि कुछ टिप्पणियों की पुनरावृत्ति की गई है, जिन पर पहले ही उपयुक्त जांच की जा चुकी है और जांच परिणामों के संगत पैरा में उन पर समुचित रूप से विचार किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मामलों और जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत पाया गया, उनकी जांच इस प्रकार की गई है :-
- क. जहां तक क्षति, गोपनीयता, डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों तथा चीन जन. गण. की बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित तर्क का संबंध है, उन पर प्राधिकारी द्वारा इन जांच परिणामों के संगत पैरा में विचार किया जा चुका है।
- ख. जहां तक कोविड के पश्चात के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 की है, जो ऐसी अवधि है, जिसके दौरान कोविड-19 का प्रभाव

नहीं था। वर्तमान मामला चूंकि एक नई जांच का है, अतः प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के लिए पाटन और क्षति का विश्लेषण किया है।

- ग. जहां तक वार्षिक रिपोर्ट में विवरणों के संबंध में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसआरएफ द्वारा करीब 71 उत्पादों का निर्माण किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट में समेकित विवरण विचाराधीन उत्पाद के कार्य निष्पादन को नहीं दर्शाते। इसके अलावा, इन जांच परिणामों के संगत पैरा में किए गए क्षति विश्लेषण यह स्थापित करने के लिए स्वतः स्पष्ट हैं कि पाटन से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जैसे सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते कि उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- घ. जहां तक भारतीय उत्पादन की प्रवृत्ति में त्रुटियों के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आकड़ों में कोई त्रुटि नहीं है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार, भारतीय उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल भारतीय उत्पादन के संबंध में आयातों की तुलना कर रहे हैं, जो समान नहीं हो सकती।
- ङ. जहां तक एसआरएफ लि. द्वारा एचएफसी आर- 32 और एचएफसी ब्लेंड जांच में प्रदान किए गए कंपनी व्यापी आर्थिक मापदंडों की सटीकता के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना पर आधारित है।
- च. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के पैक किए गए और बिना पैक किए गए रूपों के संबंध में तुलना का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की, पैक किए गए और बिना पैक किए गए रूपों के लिए तुलना की गई है।
- छ. जहां तक सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच के दौरान सामान्य मूल्य की गणना के लिए कोई वैकल्पिक पद्धति प्रदान नहीं की है।
- ज. जहां तक भारित औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और साइनोकैम ग्रुप के लिए पहुंच मूल्य की गणना का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसकी गणना विनिर्दिष्ट नियमों और प्राधिकारी की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार की गई है।
- झ. जहां तक तिमाही जांच का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि बिक्री कीमत में मात्र गिरावट से तात्पर्य, तिमाही निर्धारण करने की जरूरत से नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित किया है कि समय अवधि के साथ सामान्य मूल्य में भी काफी बदलाव आया है। जहां तक ब्याज और मूल्यहास के प्रकटीकरण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ब्याज और मूल्यहास अनुबंध-II के तहत अनिवार्य क्षति मापदंड हैं। इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में गिरावट का कारण ब्याज और मूल्यहास लागतों में वृद्धि होना है, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में ब्याज से पूर्व लाभ (आरओआई) और मूल्यहास से पूर्व लाभ (नकदी लाभ) के संबंध में गिरावट है।
- ञ. जहां तक घरेलू उद्योग की, देश में मांग और आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने में असमर्थता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने *** एमटी की मांग की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 2016-17 में अपनी क्षमता को *** एमटी से *** मी. टन तक बढ़ाया है। देश में मांग और आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम है और इसमें विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास भारत में काफी अधिक मांग को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा था और उसका चीन के आयातों की तुलना में घरेलू उद्योग में काफी कम हिस्सा है। किसी भी स्थिति में, इस संभव मांग और आपूर्ति का अन्तराल विचाराधीन उत्पाद के पाटन को स्पष्ट नहीं करता, विशेषकर ऐसी स्थिति में, जब ऐसे पाटन के कारण से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- ट. जिबो फेयुआन कैमिकल कं. लि. का नाम इन अंतिम जांच परिणामों में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तालिका में ठीक किया गया है।

- ठ. जहां तक एनआईपी की गणना का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विनिर्दिष्ट नियमों और प्राधिकारी की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण किया गया है।
- ड. मैसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स स्टेलियन इंडिया फ्लूरोकैमिकल्स प्रा. लि. अपने उत्तरों/अनुरोधों के अगोपनीय पाठ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रचालित करने में विफल रहे हैं। तथापि, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के वर्तमान जांच परिणामों में दिए गए तर्कों पर विचार किया है। जहां तक के. डी. संस का संबंध है, पक्षकार यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि क्या वर्तमान जांच में उसकी भागीदारी एक प्रयोक्ता के रूप में है अथवा एक आयातक के रूप में है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

103. प्राधिकारी ने यह माना है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कमी नहीं आएगी। इसके प्रतिकूल, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों का पाटन के प्रयोजन, सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के द्वारा हुई हानि को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
104. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लागू करना प्रतिकूल लोक हित होगा। इसके लिए प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह व्यापक लोक हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण, घरेलू उद्योग सहित विभिन्न पक्षकारों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं के हितों और रिकॉर्ड पर दर्ज सूचना पर विचार किए जाने के आधार पर है।
105. प्राधिकारी ने राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के उनके प्रचालनों पर संभव प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न सप्लायरों द्वारा सप्लाय किए गए उत्पाद की अन्तर परिवर्तनीय क्षमता के संबंध में सूचना की मांग की है ताकि स्रोतों को बदला जा सके, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव, ऐसे कारक, जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में विलंब अथवा कार्य में तेजी आने की संभावना है।
106. दो आयातक नामतः मैसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लि. और मैसर्स स्टेलियन इंडिया फ्लूरोकैमिकल्स प्रा. लि. ने वर्तमान जांच में उत्तर दिया है। मैसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लि. और मैसर्स स्टेलियन इंडिया फ्लूरोकैमिकल्स प्रा. लि. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके उत्तरों/अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफल रहे हैं। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणामों में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है। जहां तक के. डी. संस का संबंध है, पक्षकार यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि क्या वर्तमान जांच में भागीदारी एक प्रयोक्ता के रूप में अथवा एक आयातक के रूप में है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में तर्कों पर विचार नहीं किया है। किसी भी प्रयोक्ता, ओ ई एम अथवा प्रयोक्ता संघ ने वर्तमान जांच में विरोध नहीं किया है, न ही इन पक्षकारों ने यह दावा किया है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क से व्यापक जन हित में अथवा उनके प्रचालनों में भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। जैसा कि पहले नोट किया गया है, इनमें से किसी भी आयातक ने यह दर्शाने के लिए कोई पुष्टि योग्य सूचना प्रदान नहीं की है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी उपाय से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, इस संबंध में प्राधिकारी इस बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश के आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

107. यहां तक कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए और यह स्पष्ट करने के लिए कि कैसे उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ताओं के लिए फार्मेंट निर्धारित किया है। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की स्थापना नहीं की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की और यह अनुरोध किया है कि प्रभाव मामूली है।
108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अपने अनुरोध में साक्ष्य प्रदान किए हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए इनपुट का वैश्विक रूप से निर्माण किया जा रहा है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद निःशुल्क की श्रेणी में आता है और इसीलिए उसे विभिन्न देशों से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से चीन से आयातों पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए इसके उपभोक्ताओं के उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से न तो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा और न ही उपभोक्ताओं के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।
109. संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी चीन जन. गण. से यूएसए में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की भी जांच की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस निष्कर्ष पर इन आयातों पर महत्वपूर्ण मात्रा में शुल्क लगाए हैं, कि इनसे उनके घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हो रही थी।
110. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि उत्पाद की खपत मुख्यतः/ रिहायशी और वाणिज्यिक एयर कंडीशनरों में होती है और घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि घरेलू ए सी निर्माण में भारी वृद्धि होने की संभावना है और भारत में एचएफसी- 32 और एचएफसी 410क के साथ एचसीएफसी 22 को प्रतिस्थापित करके एयर कंडीशनिंग बाजार में मजबूती के कारण अगले दशक में एचएफसी में भारी वृद्धि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता 2016-17 के दौरान *** मी. टन से बढ़ाकर 2018-19 में *** मी. टन तक की है और मार्च, 2020 तक *** मी. टन तक बढ़ाई है। देश में मांग और आपूर्ति में कोई अन्तर नहीं है।
111. भारत एचएफसी- 22 को फेज आउट करने की प्रक्रिया में है, जिसके स्थान पर विचाराधीन उत्पाद को लाए जाने की संभावना है, जिसकी जीरो ओजोन अवक्षयी क्षमता (ओडीपी) है। इसके अलावा, भारत ने मोनट्रीयल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की पुष्टि करने के लिए अनुमोदन दिया है, जिसका उद्देश्य एचएफसी को चरणबद्ध ढंग से हटाना है, जो प्रोटोकॉल के तहत विनियमित उत्पाद है तथा इससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। प्रोटोकॉल के अनुसार, भारत को कोई भी नयी एचएफसी क्षमता वर्ष 2023 से आगे स्थापित करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, भारत को 2032 से पूर्व फेज डाउन को शुरू करने की जरूरत नहीं है। तथापि, उत्पाद के लिए मांग में आगे 10-12 वर्षों तक के लिए अच्छी गति से वृद्धि होने की संभावना है। एचएफसी के लिए बढ़ती मांग और वर्ष 2023 के बाद विस्तार के लिए प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, देश में नई क्षमताएं जोड़ने की तत्काल जरूरत है। अगले दो वर्षों के दौरान पर्याप्त क्षमता जोड़ने में विफलता के कारण घरेलू उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ेगा और घरेलू उद्योग आने वाले समय में सभी के लिए चीन पर निर्भर होगा। इस प्रकार भारतीय उद्योग को इन समय सीमाओं से पूर्व किसी भी क्षमता विस्तार को पूरा करना होगा। उचित बाजार स्थिति न केवल आवश्यक है, बल्कि इस संबंध में अनिवार्य भी है।
112. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम है और इसमें विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास भारत में काफी अधिक मांग को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण, घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता थी और उसका चीन के आयातों की तुलना में घरेलू बाजार में काफी कम हिस्सा था। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जबकि यू एस और जापान में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन जांच की अवधि में इन देशों से कोई आयात नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन किए जाने से इन देशों भारतीय बाजार में बिक्री रुकी हुई है।
113. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कैसे संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए योग्य सूचना प्रस्तुत की है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रयोक्ता उद्योग पर मामूली होगा। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि

विचाराधीन उत्पाद की लागत अन्तिम उत्पाद में न्यूनतम है और इसका अन्तिम प्रयोक्ताओं पर लगभग शून्य प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, यह मानकर कि 1 टन की क्षमता के एयर कंडीशनर की कीमत 20,000 रु. से 40,000 रु. के बीच है। एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त की गई एचएफसी ब्लेंड की मात्रा 1 कि. ग्रा. से भी कम होगी। यह मानकर कि 1 कि. ग्रा. एचएफसी ब्लेंड की लागत करीब 300 रु. है, अन्तिम उत्पाद के अन्तिम उपभोक्ता के लिए विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत ही कम है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि उत्पाद का उपयोग एक बारगी आधार पर नहीं है अपितु यह अनेक बार उपयोग किया जाना है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि एक ए सी में उत्पाद की समग्र लागत मात्र 300 रु. है, तो भी अनेक बार उपयोग किए जाने की लागत अधिक नहीं है।

114. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव की स्थापना नहीं की है। इस प्रकार यदि यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसके परिणामस्वरूप उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी अपर्याप्त होगा। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा से पाटनरोधी उत्पादों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक राशि तक सीमित किया जाए ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य पाटन प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना, घरेलू उद्योग की क्षति को रोकना और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापार के विकल्प उपलब्ध कराने में मदद प्रदान करना है।
115. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने की सिफारिश केवल तभी की गई है जब अपेक्षित कानूनी जरूरतें पूरी हों। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग प्रायः व्यापार संरक्षा का प्रयोग करता रहा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह सूचित किया है कि वह 71 उत्पादों के उत्पादन में शामिल है और वर्तमान में दो उत्पादों में पाटनरोधी शुल्क से संरक्षण है। नाइलोन टायर कोर्ड फैब्रिक और चीन से मिथाइलेन क्लोराइड के आयात पर पहले लागू पाटनरोधी शुल्क अब लागू नहीं हैं।
116. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर न्यून है और प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

117. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :
 - क. आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन में नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा किया गया है।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
 - ग. आवेदन में जांच शुरू करने के प्रयोजन से संगत समस्त सूचना शामिल है और जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रयास साक्ष्य शामिल हैं।
 - घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और मार्जिन महत्वपूर्ण है।
 - ड. घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में वर्ष 2017-18 में गिरावट आई है लेकिन उसके बाद क्षति अवधि के दौरान यह सापेक्ष संदर्भ में महत्वपूर्ण रही है। संबद्ध देश से आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग वित्तीय हानि, नकदी हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है।

- च. घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति पाटित आयातों के कारण से रही है।
- छ. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं के लिए सभी फार्मेट प्रदान करने और यह स्पष्ट करने के बावजूद कि कैसे पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की स्थापना नहीं की है। पाटनरोधी शुल्क न लगाना संबंधित उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए न्यून है, अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से लोक हित पर प्रभाव पड़ेगा।
118. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की जरूरत है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और इसे लगाने की सिफारिश करते हैं।
119. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए पहुंच मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित और सीमा शुल्क के लागू स्तर पर आकलन योग्य मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	38247800	हाइड्रो फ्लुरोकार्बन ब्लेंड्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजरेट्स कं. लि.	2,160.27	मी. टन	यूस डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	जिबो फेईयुआन केमिकल कं. लि.	1,620.60	मी. टन	यूस डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.	1,553.45	मी. टन	यूस डॉलर

4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	मै. सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकंग) कं. लि. और सिनोकेम लानतियान फ्लुरो मेटिरियल्स कं. लि.	1,837.14	मी. टन	यूस डॉलर
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.	1,899.68	मी. टन	यूस डॉलर
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	क्र. सं. 1 से 5 के अलावा कोई अन्य	2,250.56	मी. टन	यूस डॉलर
7.	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क वाले देशों के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य	2,250.56	मी. टन	यूस डॉलर

ड. आगे की प्रक्रिया

120. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष की जा सकेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2021

Case No. [AD (OI)-29/2020]

Subject : Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Blends, originating in or exported from China PR -reg.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/34/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) received an application (also referred to as the petition) from M/s. SRF Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or the ‘petitioner’ or the “domestic industry”) requesting initiation of an anti-dumping investigation under the Act and the Rules on imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”). The applicant, namely, M/s. SRF Limited has provided the prescribed information in the application.
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/34/2020-DGTR dated 30th September, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th September, 2020, to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it

along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties from time to time up to 20th December, 2020 to file their questionnaire response/submissions.
- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s. Zhejiang Yonghe Refrigerants Co. Ltd.
 - ii. M/s. The Chemours 3F Fluorochemicals (Changshu) Co. Ltd.
 - iii. M/s. Ninhua Group Co. Ltd.
 - iv. M/s. Sinochem Environmental Protection Chemical (Taicang) Co. Ltd.
 - v. M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind Co. Ltd.
 - vi. M/s. Zibo Feiyuan Chemicals Co. Ltd.
 - vii. M/s. Sinochem Environmental Protection Chemical Co. Ltd.
 - viii. M/s. Jinhua Yonghe Fluorochemical Co. Ltd.
 - ix. M/s. Hangzhou Juming Imp/Exp Co. Ltd.
 - x. M/s. Dongyang Weihua Refrigerants Co. Ltd.
 - xi. M/s. Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.
 - xii. M/s. Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Limited.
 - xiii. M/s. The Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd.
 - xiv. M/s. Daikin Arkema Refrigerants Asia Limited.
 - xv. M/s. Zhejiang Lantian Environmental Protection Fluoro Material Co. Ltd.
 - xvi. M/s. Fluo Shanghai International Trade Co. Ltd.
 - xvii. M/s. Beijing Straget Chemicals Co. Ltd.
 - xviii. M/s. Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd.
 - xix. M/s. Zhejiang Fotech International Co.
 - xx. M/s. Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd.
 - xxi. M/s. Zhejiang Orient Multitex I/E Co. Ltd.
 - xxii. M/s. Ace Prosper Corporation.
 - xxiii. M/s. Dyaninc Limited.
 - xxiv. M/s. Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd.
 - xxv. M/s. Jiangxi Lee & Man Chemical Limited.
 - xxvi. M/s. Sc Ningbo International Ltd.
 - xxvii. M/s. Shandong Huaan New Material Co. Ltd.
 - xxviii. M/s. Liancheng Ruijin (Hong Kong) Co. Limited.
 - xxix. M/s. Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co. Ltd.
- h. In response to the above notification, the following exporters/ producers and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporter's questionnaire responses and/or legal submissions:
- i. M/s. Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd. (Producer)
 - ii. M/s. Zhejiang Quzhou Lianzhou Refridgerants Co. Ltd. (Producer and Exporter)
 - iii. M/s. Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. (Producer and exporter)

- iv. M/s. Sinochem Lantian Trading Co. Ltd. (Trader)
- v. M/s. Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd. (Producer and exporter)
- vi. M/s. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd. (Producer and exporter)
- vii. M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. (Producer and exporter)
- viii. M/s. Fluo Shanghai International Trade Co. Ltd. (Exporter)
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. M/s. Gorakhram Haribux.
 - ii. M/s. Kiro Refrigerants Private Limited.
 - iii. M/s. Stallion Enterprises.
 - iv. M/s. Mangali Petrochem Ltd.
 - v. M/s. Ajay Air Products (P) Ltd.
 - vi. M/s. Gujarat Fluoro Chemicals Ltd.
 - vii. M/s. Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd.
 - viii. M/s. Coolmate Refrigerants Pvt. Ltd.
 - ix. M/s. Chillaire Solutions.
 - x. M/s. Mihama India Pvt. Ltd.
 - xi. M/s. Value Refrigerants Private Limited.
 - xii. M/s. MPCL Industries Limited.
 - xiii. M/s. Navin Fluorine International Limited.
 - xiv. M/s. Vijay Petrochem Private Limited.
 - xv. M/s. Shravan Engineering Enterprises P. Ltd.
 - xvi. M/s. Sikelan Chemicals India Pvt. Ltd.
 - xvii. M/s. Refex Industries Limited.
 - xviii. M/s. Mexfluor India Private Limited.
 - xix. M/s. T.T. International Co. Ltd.
 - xx. M/s. Weitron International Refrigeration Equipment (Kunshan) Co. Ltd.
 - xxi. M/s. Aone 9 Star Future Pvt. Ltd.
 - xxii. M/s. Unique General Trader.
 - xxiii. M/s. Karthik Traders.
 - xxiv. M/s. Hindustan Refrigeration Stores.
 - xxv. M/s. Cool Chem (Opc) Private Limited.
 - xxvi. M/s. Koolane Refrigerants.
- j. In response, the following importers or the users have responded and submitted the importer/user questionnaire responses/legal submissions:
 - i. M/s. MPCL Industries Limited (Importer)
 - ii. M/s. Stallion India Fluorochemicals Private Limited (Importer)
 - iii. K.D.Sons
- k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their

submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to restrictions on physical movements owing to the ongoing global Covid-19 pandemic.

- l. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months). The injury examination period is the period 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017 -31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019 and the period of investigation.
- m. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the subject goods for the injury period, including the period of investigation, and analysed the data after due examination of the transactions.
- n. Verification of the data provided by the domestic industry and the responding exporters was concluded to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- o. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits for the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 30th June, 2021. The parties, that presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- q. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 10.09.2021 and the interested parties were allowed time up to 16.09.2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
- r. The submissions made by the interested parties, arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final finding notification.
- s. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties which forms the basis of this final findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant.
- t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and recorded the present final finding on the basis of the facts available.
- v. '***' in this final finding notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as-

“3. The product under consideration is “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded”.

4. HFC blends R-407 and R-410 are colourless, odourless gases containing only hydrogen, fluorine, and carbon. They were developed as ozone-friendly replacements for CFCs and HCFCs, such as R-22, which deplete the ozone layer and are extensively used for refrigeration and air conditioning. These two major end uses are residential air conditioning and heat pumps, commercial air conditioning, commercial refrigeration, transportation refrigeration, and process refrigeration e.g., food processing and chemical manufacturing. R-407 is mainly used in residential air conditioners, light commercial air conditioners and medium temperature commercial refrigeration system. The main end use of R-410 includes residential and commercial air conditioning system, chillers and heat pumps.

5. The product under consideration is classified under chapter 38 of the Customs Tariff Act under customs sub-heading no. 38247800. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

C.1. Submissions of the other interested parties

5. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and the like article:

- a. No methodology has been provided by the domestic industry for selection of the narrowest group/range of products for injury analysis. The product under consideration in investigations on “HFC Component” and “R-134a” are also refrigerant gases which can be categorized as “narrowest group/range of products”.
- b. Annual Report 2019-20 shows that 13% of customer complaints were in the fluorochemical business, which includes the product under consideration and demonstrates that the product is of poor quality, thereby preventing them from producing quality grades and speciality grades of the product under consideration.
- c. Packed and unpacked forms of the PUC have a cost and price difference of 20-30%. No such differentiation is made for goods while claiming dumping and injury in the petition. The Authority should compare them separately and separate margins should be determined.

C.2. Submissions of the domestic industry

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of product under consideration and the like article:

- a. All other blends, other than 407 and 410, are excluded.
- b. The major raw materials used in the production of R-407 and R-410 are R-32, R-125 and R-134a.
- c. The two HFC Blends should be considered as a single article. The US authorities, in a previous investigation, had considered HFC Blends as one product.
- d. The applicant has produced the like article to the imported products.
- e. As regards the argument of selection of the narrowest group/range of the products, the injury information provided by the domestic industry pertains only to the subject goods and the argument is beyond the legal prescription.
- f. A mere statement in the Annual Report which covers numerous products, even within the fluorochemical business, cannot be a ground to establish that the product produced by the domestic industry is of inferior quality. The respondents have not provided any evidence as to how the imported product under consideration is of superior quality than the product under consideration produced by the domestic industry.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is “Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded”.
8. HFC Blends are colourless, odourless gasses containing only hydrogen, fluorine and carbon and are used as low-to-medium temperature refrigerants in residential and commercial air conditioning systems. The two major end uses are in residential air conditioning and heat pumps, commercial air conditioning, commercial refrigeration, transportation refrigeration, and process refrigeration, e.g., food processing and chemical manufacturing. The HFC Blends are considered as a single article for the purpose of the investigation.
9. The product is classified under Customs Tariff heading no. 38247800. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
10. As regards the selection of the narrowest group/range of the products by the domestic industry, the Authority notes that the present investigation concerns only with HFC Blends R-407 and R-410. The domestic industry has provided adequate and accurate information for the injury analysis pertaining to HFC Blends R-407 and R-410 and the same has been considered by the Authority.
11. As regards the inferior quality of the product produced by the domestic industry as compared to the imported product under consideration, the Authority notes that the other interested parties have not provided adequate information to establish the same. Also, in *DSM Idemitsu vs DA* [(2000(119) E.L.T.308], the Hon’ble Tribunal has noted that the difference in quality cannot be the relevant criteria for considering imported product as different from the domestic like product.
12. As regards the argument of separate dumping margin of packed and unpacked product under consideration, it is noted that the Authority has determined separate margins for unpacked forms as the exports have come in unpacked forms.
13. It is seen from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry are the like article to the product imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY& THE STANDING**D.1. Submissions of the other interested parties**

14. The following submissions have been made by the other interested parties regarding the scope and standing of the domestic industry:
 - a. The share of the domestic industry in the total production has not been provided even in the range. Mere statement that they constitute major proportion in the absence of details does not establish standing.
 - b. No data or documents have been provided by the supporter. Mere letter of support is not sufficient. The information as per Trade Notices 13/2018 and 14/2018 required to be provided by GFL has not been filed. Para 4.9.20 of the Manual of Operating Practices is also relied upon.

D.2. Submissions of the domestic industry

15. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. The applicant, namely, M/s. SRF Limited, account for a ‘major proportion’ in the Indian production for the subject goods in India and, therefore, constitutes eligible domestic industry.
 - b. Gujarat Fluorochemicals Limited has supported the application and has provided the information concerning their production as per the Initiation Notification.

- c. The applicant has not imported the subject goods in the period of investigation from the subject country.
- d. The applicant is not related to any exporters in the subject country or importers of the subject goods in India.

D.3. Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The application has been filed by M/s. SRF Limited. There is one another producer of the subject goods, i.e., M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd. (GFL). A communication was sent to Gujarat Fluorochemicals Ltd. (GFL) - the only other domestic producer of the product under consideration in India. The company had responded by supporting the application and providing information about their production. The Authority notes that based on the records, the applicant constitutes the domestic industry and accounts for a major proportion of the Indian production, as can be seen from table below:

Particular	Production in POI	Share in production (%)	Share in production Range)
Total HFC Blends (R-407C & R-410A)			
SRF (Petitioner)	***	***	55-65
Gujarat Fluorochemicals Limited	***	***	35-45
Total Indian Production	***	100%	100%

18. The applicant has certified that neither it has imported the product under consideration from the subject country in the period of investigation nor is it related to any exporter or producer of the product under consideration in the subject country or any importer of the product under consideration in India.
19. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the other interested parties

20. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality:
 - a. The non-confidential version of the petition violates requirements of the Rules, relevant trade notices and the rights of defence of the interested parties by not furnishing any information in response to Annexure A (Injury Statement) and Annexure 4 (Costing Information).
 - b. The respondents are unable to make any observations on the cost and other details of the DI due to extreme confidentiality. NCV of the DI's petition is not a replica of the confidential version. Due to gross violation of the AD law, the investigation should be terminated. DI has filed an incomplete petition as Part VI of the application proforma is missing in entirety. The DI has claimed excessive confidentiality on the related party transactions.
 - c. The domestic industry has kept lots of information confidential without legitimate reasons and in violation of the Rules and the procedure of the Authority. The item-wise details of the normal value, the evidence of adjustments for the export price, profit/loss and the return on capital employed in percentage terms, the price underselling and the injury margin, the share in total production, the details of wages have been kept confidential.

- d. The respondents have not claimed excessive confidentiality and confidentiality has only been claimed as permitted. The confidentiality claimed is permissible under the Rules by providing reasons which are not disputed by the DI. Zibo Feuyuan has provided cost and price and PBIT of the export to India has been provided in the confidential version.
- e. The DI's objections to the confidentiality are without a proper review of questionnaire response. The DI has also claimed manufacturing process as confidential.

E.2. Submissions by the domestic industry

- 21. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality:
 - a. Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd., Sinochem Lantian Trading Co. Ltd., Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd. and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd. have claimed information on their related parties as confidential, thereby preventing the domestic industry from examining them and bringing relevant non-cooperative parties to the Authority's notice.
 - b. All the responding exporters have violated Trade Notice 10/2018, failed to provide reasonable information of the information claimed confidential, failed to disclose information in the public domain, failed to respond to all the questions in the questionnaire response and have provided responses contradictory to the information in the public domain.
 - c. The exporters have failed to abide by the procedure and the practice of the Authority, thereby undermining the entire investigation process.
 - d. Though K.D. Sons, Stallion India Fluorochemicals Private Limited and MPCL Industries Limited fulfilled the formality of registering themselves, they failed to circulate the non-confidential version of their submissions/questionnaire response to the domestic industry, thereby violating the rules and the practice of the Authority as well as the principles of natural justice and, therefore, should not be considered as interested parties.
 - e. Costing information is a business proprietary information and is not amenable to summarization. The domestic industry has referred to and relied upon CESTAT orders in Anwar Jute Spinning Mills Ltd. v. Union of India/DA and Nitro Chemical Industry Ltd. v. DA. The exporters are arguing for its disclosure when they themselves have not disclosed the same.
 - f. The non-confidential version of the petition, including Annexure A, is as per Rule 7, Trade Notices 1/2013 and 10/2018.
 - g. DGCI&S data is the third-party data which the DI is not authorized to disclose. The same may be obtained following Trade Notice 7/2018. The final finding in the investigation on 'PET Resin' from China is relied upon. There is no obligation on the DI to provide both sorted and unsorted data to all the interested parties.

E.3. Examination by the Authority

- 22. With regard to the confidentiality of the information, the Rule 7 of the Rules provides as follows:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information."

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling

to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

23. The Authority examined the confidentiality claims of the opposing interested parties and the domestic industry and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that an information which is by nature confidential (for example, its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without the specific permission of the party submitting it.
24. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of the evidence submitted by the various interested parties.
25. As regards the submission of the importer's questionnaire response by Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. and MPCL Industries Limited, it is seen that these companies have not provided a meaningful summary of the confidential submissions in the form of non-confidential version.
26. With regards to the DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with the interested parties relating to the volume & the value of the imports from the exporting countries into India. Further, the applicant has provided a complete list of the transaction wise import data. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCI&S and lodge its own counter claim based on the data so received. The Authority holds that procedure for sharing and procuring the import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March, 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) the interested parties can seek authorization from the Authority for seeking the raw transaction by transaction import data from the DGCI&S. Due to Covid-19, a scanned copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon the declaration/undertaking as per the prescribed format. The Authority thus notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.
27. The Authority notes that both the sets of the interested parties have claimed similar information as confidential and have yet pointed out at the confidentiality claimed by the other interested parties on similar information. The Authority notes that the information claimed confidential by these interested parties on these accounts are normally allowed to be filed on confidential basis. Since the Authority has allowed confidentiality on such information in the past, the same has been allowed in the present case as well.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the other interested parties

28. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:
 - a. Abetting monopolistic practices by the domestic industry is not the purpose of the anti-dumping duty and will allow the domestic industry to increase the prices.
 - b. The domestic industry uses trade remedy as a strategic decision to offset their immense increase in the costs during the period of investigation and the same should be examined.
 - c. The petitioner has been seeking undue protection from the Authority for 12 years to attack the producers and exporters in China PR, maximise profits and gain monopolistic advantage. Reference has been made to AD and SSR investigations on R-134a and AD investigation on imports of HFC component R-32.
 - d. The requirement of Rule 5(3) has not been met. “Prima facie” and “sufficient” are two completely different terms and are not interchangeable. Only the evidence of adequate quality constitutes ‘sufficient evidence’. The petition is largely based on the estimates and the assumptions and fails to draw a logical conclusion and, therefore, the initiation is bad in law.

Reference has been made to Panel Report in Mexico-Pipes and Tubes, US-softwood lumber from Canada and Guatemala – Cement II.

- e. The petition filed by the domestic industry shows that the domestic industry increases the capacity in the injury period and the period of investigation to establish artificial injury and obtain undue protection.
- f. The imposition of the anti-dumping duty will affect the end-users and the downstream industry who are dependent on the internationally competitive raw material to manufacture the value-added products that can compete with the other countries. It would cause tremendous loss of the livelihood, the reduction in the exports by the MSMEs, the market asymmetry between the manufacturers and the limited availability of the superior quality of the goods.
- g. The public interest should be considered before the imposition of the duty, if any. The public interest is in favour of the non-imposition.
- h. SRF is using the AD and the other unfair trade remedies to attack the producers and the exporters from China PR to maximize the profit and have a monopolist advantage. They are already enjoying the undue protection on the various products.
- i. The related parties of Sinochem Lantian have submitted the questionnaire responses complying with guidelines in the Trade Notice 5/2018.
- j. The domestic industry has provided the import data for only 11 months and not the entire period of investigation. Since the DGCI&S data and the sorted import data is not being provided to the interested parties, it is very easy for the domestic industry to manipulate the import data.

F.2. Submissions by the domestic industry

29. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:

- a. The related parties who responded in the US investigation have deliberately chosen not to respond in the present investigation and, therefore, the responding parties, i.e., Shangdong Dongyue Chemical Co. Ltd., Zhejiang Sanmei Chemicals Ind. Co. Ltd. and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Limited must be held non-cooperative, denied individual margins and their related parties should not be allowed to file questionnaire responses at a belated stage.
- b. The imposition of the anti-dumping duties is to remove the trade distortion and establish a level playing field. It will not restrict the imports from the subject country in any way or affect the availability of the product to the consumers.
- c. The minimal participation from the registered interested parties and the absence of significant participation from the users and the user Associations shows that they do not consider any adverse impact if duties are imposed. The cost of the product under consideration in the final product is minimal and has almost no effect on the end-users.
- d. The Applicant is a responsible and fair player and can be trusted to not take advantage of the remedies available and has rarely approached the Authority seeking the imposition of the anti-dumping duties. It would be seen that out of around 71 products manufactured by the domestic industry, the domestic industry has the anti-dumping duty protection on only 4 products till date.
- e. The applicant started production before the injury period and has been struggling to find a foothold in the market due to the presence of the dumped imports and is fully within its rights to approach the Authority. The Chinese producers enjoy a level of dominance in the market and intend to eliminate the competition in India to gain total monopoly, after which the consumers will be completely at the mercy of the foreign producers.
- f. The present situation is a duopoly market where only China PR and the domestic industry is competing and hence any unfair pricing by China PR will directly impact the domestic industry.
- g. The Authority has initiated investigations only after prima facie being satisfied on the claims of the petitioner.
- h. As regards the 11-months data, the DGCI&S had not released the data of March, 2020 at the time of filing of the petition.

- i. The requirements of the Rules 5 and 6 have been adequately met. It is a well-established principle that the quantity and the quality of the evidence improves as an investigation progresses. The information sufficient for the purpose of initiation may not be sufficient for the purpose of determination. At the same time, the information required for the determination need not be insisted upon at the time of the initiation. Further, the respondents have omitted to quote the finding of the Panel in Mexico-Steel Pipes and Tubes on the issue.
- j. As regards the increase in the capacity to establish the artificial injury, no company will invest to establish the artificial injury for an anti-dumping case.

F.3. Examination by the Authority

30. The Authority considered the submissions of the parties and determines as follows:

- a. As regards the establishment of the artificial injury and the non-fulfilment of the requirements under the Rules by the domestic industry, the Authority notes that the present investigation has been initiated only after examining the facts and being satisfied about the accuracy and the adequacy of the prima facie evidence furnished by the domestic industry. Further, it is also noted that the opposing interested parties have not sufficiently substantiated their claims of the artificial injury caused by the domestic industry.
- b. As regards the argument regarding the impact of the anti-dumping duty on the user industry, it is noted that the interested parties have not demonstrated how the anti-dumping duty will impact the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted the information showing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry submitted that the cost of the product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. For example, assuming that an air conditioner of a capacity of 1 Ton costs around Rs. 40,000, the amount of HFC Blends used in the air conditioner would be less than 1 kg. Assuming that 1 kg of HFC Blends costs around Rs. 200, the cost of the product under consideration on the end-consumer of the final product is meagre.
- c. It is, thus, noted that while the interested parties have not established the impact of the proposed ADD on the user industry with verifiable information, even if it is considered that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, it is noted that the impact of the antidumping duty on the eventual product would be grossly insignificant. Further, the fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of the imposition of the anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by the dumping practices, to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of a wider choice to the consumers of the subject goods.
- d. As regards the excessive protection to the domestic industry, the Authority notes that the recommendation for the imposition of the duty is made only when the requisite legal requirements are met. There is no bar on the number of times a duty can be imposed or extended on a given product.
- e. As regards the use of only 11 months data by the domestic industry in filing their petition, the Authority has considered the import data for the entire POI (12 months) in their assessment of the export price, resultantly the dumping margin and injury parameters in the present determination.
- f. As regards the argument that the anti-dumping duty will create a monopoly for the domestic industry, the Authority notes that the PUC is produced globally, including in China, US, India and Japan. The product can be freely imported from the various countries. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from China in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

G. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS**Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin****G.1. Submissions of the other interested parties**

31. The following submissions have been made:

- a. Though an insignificant share of the exports were also made through an unrelated exporter, the share of exports through the co-operating exporter is more than the threshold for the individual margin determination.
- b. The export price and the dumping margin should be determined as per the actual data provided by the respondents. A separate comparison of the packed and the unpacked forms should be undertaken.
- c. The surrogate country methodology should not be used in calculating the normal value for this case, regardless of whether China is treated as a market economy country. India has no basis for calculating the normal value using the non-market economy methodology.
- d. China must be treated in the same way as any other WTO member for the anti-dumping investigations, a view that was shared by the US and the EU until recently. The Authority is requested to grant market economy status to China, conduct the normal value calculation as per Art. 2 of the ADA and apply the data on the costs and the prices for the determination of the normal value rather than applying the analogue country data in this investigation.
- e. The domestic industry has arbitrarily constructed the normal value without following the due procedure as per para 7 of Annexure I of the AD Rules and the same is inflated due to the non-utilization of the optimum capacity by the domestic industry. The reference has been made to SC decision in Shentang Matsushita wherein it was held that proceedings cannot continue in view of the absence to follow the mandatory procedure. The claims of the dumping margin by the DI is a result of the constructed normal value to inflate it.

G.2. Submissions of the domestic industry

32. The following submissions have been made by the Domestic Industry:

- a. The Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for the determination of the normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and the price information is such that individual normal value and the dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and the price information can be adopted, the Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
- b. Since the Chinese producers are not entitled to market economy treatment, Para 7 of Annexure I may be followed to determine the normal value.
- c. Since the normal value could not be determined on the price or the constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available, the applicant claims the determination of the normal value for China on the basis of price payable in India, duly adjusted.
- d. For the determination of the normal value in the subject country, the applicant has taken the cost of the production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding the selling, general and administrative expenses and the reasonable profit margin.
- e. The applicant has taken the CIF price and adjusted the same for the ocean freight, inland freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and VAT to determine the export price.
- f. The dumping margin is not only significant but also substantial for the subject country.
- g. The share of the exports through non-cooperative unrelated exporter should be examined and if found to be significant, the responding producer should be held non-cooperative, in accordance with paragraph 16.26 of the Manual of Operating Practices. If share is less than the threshold, the export price should be calculated for all the sales and the adverse facts should be applied for the missing volumes.

- h. The export price and the dumping margin can be determined based on the actual data provided by the exporters after ensuring adequacy and accuracy of such information and the comments of the domestic industry.
- i. Since no exporters have claimed the market economy status, the normal value should be based on the information provided by the domestic industry.
- j. China PR has failed to fulfill its obligations under the Accession Protocol and failed to remove the distortions to allow the prices to be set by the market. It for this reason that other WTO members, including USA and the European Union, have also continued to treat China as a non-market economy.
- k. The domestic industry has followed the due procedure as per para 7 of Annexure I of the AD Rules. The opposing interested parties have not provided any information to dispute the claim of the normal value of the domestic industry or an alternate methodology for the calculation of the normal value.

G.3. Examination by the Authority

33. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
 - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

34. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- a. M/s. Zhejiang Quzhou Lianzhou Refridgerants Co., Ltd. (producer and exporter)
- b. M/s. Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. (producer)
- c. M/s. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. (producer and exporter)
- d. M/s. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. (producer and exporter)
- e. M/s. Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd. (producer and exporter)
- f. M/s. Sinochem Lantian Trading Co., Ltd. (trader)
- g. M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. (producer and exporter)
- h. M/s. Fluo Shanghai International Trade Co., Ltd. (exporter)

35. The normal value and the export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

G.4 Market Economy Status for the Chinese Producers

36. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

37. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol, require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per the provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.

38. The normal value and the export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

G.5 Normal Value for all producers in China PR

39. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly

adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

40. The Authority notes that the prices or the constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, have neither been made available by the applicant or an interested party, nor are available with the Authority from any public source. The Authority notes that the Authority is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. It is also noted that the interested parties have not provided any verifiable information which could have been adopted by the Authority. Further, it is noted that the import of the PUC in the POI from the other countries is nil, which shows that the PUC is primarily manufactured in India and China PR. Thus, the Authority is of the opinion that the only option available is to determine the normal value considering the price actually paid or payable in India for the like article. Therefore, the normal value has been determined considering the optimised cost of production in India, after addition for the selling, general & administrative expenses and the reasonable profits. The normal value so determined is given below in the dumping margin table below.

G.6. Determination of the export price

Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd. (Producer/Exporter)

41. Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd. ("Lianzhou") is company limited by shares under the Company Law of China PR and is a producer of subject goods in China PR. The company has provided all the relevant information in requisite formats. During the POI, Lianzhou has exported *** MT of subject goods in unpacked form directly to the unrelated Indian customers. Lianzhou has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost, which have been allowed by the Authority. Lianzhou has provided the separate information for R407C and R410A. The weighted average ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table below.

Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. (Producer/Exporter)

42. During the POI, Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd., China, has directly exported the two grades in unpacked form. In total, the company has exported a quantity of *** MT. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and handling expenses, credit cost and bank charges, which have been allowed by the Authority. The weighted average ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table below.

Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. (Producer/Exporter)

43. During the POI, Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., has directly exported *** MT of PUC to India in unpacked form. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation and port and other related, which have been allowed by the Authority. Accordingly, the PCN-wise net export price at ex-factory level for Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., has been determined and same is shown in dumping margin table below.

Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. (Producer/Exporter), Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd. (Exporter/Trader) and Sinochem Lantian Trading Co., Ltd. (Domestic Seller)

44. During POI, Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., China PR, has directly exported *** MT to India in unpacked form. It is further noted that Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd., a related company of Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., has directly exported *** MT to India in unpacked form. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, inland transportation, credit cost and bank charges, which have been allowed by the Authority. Accordingly, the PCN-wise net export price at ex-factory level

for Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd., have has been determined and same is shown in dumping margin table below.

Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. (Producer/Exporter) and Fluo Shanghai International Trade Co., Ltd. (Related Exporter)

45. During the POI, the subject goods produced by Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. have been exported to India both directly by Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. as well as by its related exporter, namely, Fluo Shanghai International Trade Co., Ltd. During the POI, Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd has exported *** MT of the subject goods to India directly and *** MT through its related exporter Fluo Shanghai International Trade Co., Ltd. All the exports are in unpacked form. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, inland transportation, marine insurance and bank charges, which have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for the group has been determined and same is shown in dumping margin table below.

Non-cooperative exporters from China PR

46. The export price in respect of any other exporters from China PR has been determined as per the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered the imports as reported in the DGCI&S data and the questionnaire response of the producer and the exporters.

G.7 Determination of the dumping margin

47. It is noted that in the subject investigation, many cooperating producers and the exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been the consistent practice of the Authority to consider the related exporting producers and the exporters as one single entity for the determination of the dumping margin and, thus, to establish one single dumping margin for them. This is because calculating the individual dumping margins might encourage the circumvention of the anti-dumping measures, thus, rendering them ineffective by enabling the related exporters/producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.
48. In accordance with the above, the related producers and the exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margin of the cooperating related producers and the exporters.
49. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country has been determined as follows:

Dumping Margin Table

S. No.	Producer	CNV (US\$/MT)	NEP (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1.	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.	***	***	***	***	100-110
2.	Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd.	***	***	***	***	60-70
3.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
4.	M/s. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
5.	Zhejiang Sanmei Chemical Industries Co., Ltd.	***	***	***	***	75-85
6.	All Others	***	***	***	***	100-110

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the other interested parties

50. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury and the causal link:
- a. The domestic industry has performed extremely well in the POI compared to the previous year and has not suffered any injury. Claims on the dumping and the fall in landed price has no meaning when seen in the context of the import of the subject goods in India and the performance of the domestic industry amid alleged dumping.
 - b. The petitioner's claim on increase in the basic raw material price (fluorspar) needs scrutiny. The exaggerated numbers are apparently used to inflate the dumping margin and have no basis. The information on fluorspar delivered price in East China as available shows a movement from 2600 Yuan/MT in the 2016-17 period to 2700 Yuan/MT in the 2019-20 period whereas the domestic industry has claimed 100% increase in fluorspar prices. Since the two by-products are produced on the production of hydrogen fluoride from fluorspar, the changes in fluorspar prices do not directly affect the prices of the subject goods. The position of the prices of fluorspar and the subject goods is the same as that of the DI. The DI itself has not stated that it uses fluorspar as the raw material.
 - c. The import trend for China does not reflect the pressure of excess capacity. The imports declined in relation to the demand. The market share of the imports declined while that of the domestic industry increased significantly, even when the price undercutting claimed is very significant and the increase in the domestic sales is much more than the import volumes.
 - d. If the Chinese producers had a compulsion to dump, the DI would not have achieved the increase in the market share, the volume and the profitability parameters in the POI compared to the previous year.
 - e. The decline in the landed price is not actionable and the discrimination between the domestic and the export markets causing the injury to the domestic industry is the question.
 - f. The domestic industry did not have the economies of scale to meet any reasonable part of the demand during the injury period. There is no volume effect as the imports have not increased in relative terms and have only been to meet the demand beyond those supplied by the domestic industry. The loss of the market share before enhancement of the capacity cannot be factum for the material injury.
 - g. The capacity expansion by the domestic industry in the period of investigation shows their strength and is no sign of injury. The decline in the capacity utilization is due to the capacity additions in 2017-18 and the period of investigation.
 - h. The relation between the cost and the price in the POI and the previous year shows the domestic industry was in control of their prices. The profits and the ROCE improved in the same period. There is an inverse relationship between the landed price and the alleged injury in terms of the profitability, the profits and the ROCE. The domestic industry increased its volumes and the profitability when the price undercutting was significant. There is a disconnect with the performance of the domestic industry.
 - i. The exporters have not undertaken any discriminatory pricing as alleged and do not create unfair competition. The decline in the landed price is due to the release of the stock in the POI and the global supply met the global demand. The Chinese prices followed the global trend. India has huge demand-supply gap for the subject goods. The DI is engaged in the trade restrictive practices by not supplying the refillers and hence, they are forced to import.
 - j. The profitability of the domestic industry could have been much higher had there been no fixed per unit cost of the domestic industry on account of the non-utilization of the optimum capacity and the increase in the depreciation costs, the interest, the wages and the overheads due to the two new plants.

- k. The Authority should examine the extent of the decline in the captive consumption and the reason for the same. If such decline in the captive consumption impacted the overall performance of the DI, the same should not be attributed to the subject imports.
- l. The Authority should clarify whether several expenses not allowed under Annexure III (advertising, other admin overheads, other selling and distribution overheads, commission on sales, discount/ rebate on sales, freight outward, and export related expenses) for calculation of the NIP have been considered. The NIP should be considered at the ex-factory level.
- m. As per the CESTAT order in *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority*, the increase in the inventories should be seen in relation with the increase in the sales. In the present case, the inventories increased with the sales volume.
- n. The productivity of the DI increased in the POI compared to the base year and shows no injury. The number of employees and the wages remained constant throughout the injury period, thereby, showing that the domestic industry has not sustained injury due to the imports.
- o. The DI is able to increase the selling price more than the cost of sales and hence, there is no price suppression. When costs declined in the POI, selling price increased leading to decline in losses. The reason for the decline in the profit per unit and the consequent alleged injury is the substantial increase in the depreciation and the interest. The Authority should examine the divergent trends in the capacity, NFA, WC, depreciation and the interest costs.
- p. The Annual Report 2019-20 mentions a temporary shutdown in the Dahej site due to COVID - 19 which the petitioner failed to mention in the petition. The injury to the domestic industry is due to the prolonged and severe slowdown in the auto sector as mentioned in the Annual Report and, therefore, the present investigation should be terminated.
- q. The PBIT of the chemical segment of SRF Limited shows that the petitioner has been continuously making profits since 2016 which was the highest in March, 2020. The statement of CEO of SRF Limited shows that the SRF's chemical business witnessed a robust growth of 23 % year on year to achieve the record revenues and they are planning to invest in capital expenditure, which would not be possible if they were incurring losses.
- r. The positive price undercutting cannot be regarded as a factor for the injury. Reference had been made to Gypsum Plaster Board wherein it was held that mere existence of the positive price undercutting, the injury margin per subject exporter does not imply that the domestic industry has suffered injury.
- s. The increase in the imports is not a factor of the injury as it is not related to the performance of the domestic industry. The import prices have no bearing on the domestic prices and the performance of the domestic industry as the applicant is in a dominant position in the market. The DI has not passed down cost reduction to their buyers and dictates their prices.
- t. The non-attribution analysis should be made in view of the high fixed costs due to the investments by the domestic industry in new plants during the injury period. A rational and prudent Authority would not make a determination on existence of the causal link in the current investigation.
- u. With regard to the argument on the surplus capacity in China, the DI has not provided any evidence for the same and the methodology of calculation of the surplus capacity is flawed and has no merit unless corroborated with the attractiveness of the Indian market. The allegation is also immaterial since the source of the information has not been disclosed. It is irrelevant in an original investigation. As held in *Indian Spinners Association v. Designated Authority*, mere surplus capacity cannot be seen as a foreseen and imminent threat of injury to the DI.
- v. The imposition of ADD in the US is not relevant to the present investigation. The likelihood of future imports is not relevant to the original investigations. The DI was themselves investigated for circumvention. Hence, DI has no locus to rely on the argument. The imports are to meet demand-supply gap in India. ADD in the US has not led to a spike in the imports and the DI only bettered profitability over the years.
- w. The exports from China or the excess capacity or the increase in the capacity do not necessarily mean dumping. Nothing concrete has been placed on the record by the DI. It is seen that the exports to the third countries have also increased and some producers/exporters have not even exported to India in the POI.

H.2. Submissions of the domestic industry

51. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and the causal link:

- a. China has surplus capacities in excess of the total global consumption. Since the biggest foreign market, i.e., the United States of America has imposed a high quantum of duties on the subject goods, India becomes an attractive market for dumping the product under consideration. The pressure of excess capacity in China is not only impacting the Indian producers but the producers in third countries as well.
- b. There is significant decline in the landed price of the imports despite the increase in the international and Chinese prices of fluorspar, a major input of the product under consideration and the consequent increase in the cost of production.
- c. The exporters have enhanced their capacities despite the surplus capacities available in China. The exporters have reduced their selling prices and are selling at losses in India, despite the increase in the fluorspar prices. The exporters have been able to increase their export volumes into India in the period of investigation by foregoing the revenues over the injury period and the period of investigation.
- d. The imports from the subject country constitute 100% of the imports of the subject goods to India. The imports have increased in absolute and relative terms. The imports are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and the market share of the domestic industry declined in the period of investigation despite the capacity additions. The inventories increased in 2018-19 and in the period of investigation. The domestic industry is suffering financial losses, cash losses and negative returns on the investment due to the dumped imports. The growth is negative in almost all the injury parameters and the ability of the domestic industry to raise the capital has weakened.
- e. The establishment of a new plant during the period of investigation has not contributed to the injury suffered by the domestic industry as majority of the sales were from the old plant. The increase in the interest cost has no impact on the injury suffered by the domestic industry.
- f. As regards the fluorspar prices, the interested parties provided the information based on East China fluorspar prices without giving the source of the information. Such prices do not reflect the prices prevailing in China. Chinese producers are operating in non-market economy conditions. The decline in the landed price despite the increase in the fluorspar prices by 80% has not been disputed by the interested parties.
- g. The significant decline in the landed price of the subject imports has allowed the subject country to become the sole source of the imports of the subject goods into India in the POI as no other producers globally are able to match the Chinese prices.
- h. The domestic industry has sufficient capacities to meet the entire domestic demand.
- i. The capacity additions are not the immediate decisions taken for achieving short terms goals but to rather keep up with the increasing domestic demand and making India Atmanirbhar.
- j. The domestic industry has provided the data considering maximum capacity utilization and most parameters still show deterioration. Further, the new plant accounts for less than 5% of the total domestic sales of the domestic industry and, therefore, has not impacted the performance of the domestic industry.
- k. The decline in the captive consumption in the period of investigation as compared to the base year is only 8% and thus has not impacted the performance of the domestic industry.
- l. The capacity additions do not necessarily increase the cost of production and reduce the returns. By achieving the economies of scale, the cost per unit can actually decline, leading to higher profitability and returns. Though this was the trend during the capacity additions in 2017-18, the same is not seen in the POI due to the dumping of the subject goods from China.
- m. As regards statements in Annual Reports, the respondents are selectively reading the Annual Reports and twisting the facts in their favour. Further, the Annual Report is for the company as a whole and not for the product under consideration and does not provide any guidance with

regard to the deterioration in the performance over the injury period. The period of shutdown due to COVID-19 in the POI is only 8 days and cannot be a reason for overall deterioration. The Annual Report does not go into reasons for the dumping.

- n. The interest and the depreciation cost have increased due to the increase in the capacities. Further, the interest cost has declined during the period of investigation as compared to 2017-18 and 2018-19 whereas the depreciation cost has declined during period of investigation as compared to 2017-18.
- o. The landed price of the subject imports needs to be seen in comparison with the selling price of the domestic industry. The landed price is constantly below the selling price and the cost of the domestic industry throughout the injury period and the period of investigation. The domestic industry is not able to compete with the price level of the imports despite reducing its prices.
- p. The price undercutting and the positive injury margin is one of the factors to determine whether the dumped imports are causing the injury to the domestic industry. Further, almost all the economic parameters indicate injury to the domestic industry. The respondent is trying to mislead the Authority by only highlighting the portion of the finding that is favourable and twisting the same in its favour.
- q. Fluorspar is used in the production of hydrogen fluoride, which is one the major raw materials used to produce R-32, which, in turn, is a major raw material to produce R-407 and R-410. If by-products are generated in the process of manufacturing the product under consideration, then such cost shall also impact its prices.

H.3. Examination by the Authority

- 52. The submissions made by the domestic industry and by the interested parties with regard to the injury and the causal link related issues have been examined.
- 53. As regards the submission that alleged injury to the domestic industry is due to the other reasons and there is no injury as per statements in the Annual Reports of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory to establish that these alleged other factors are not the cause of the injury found by the Authority.
- 54. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve the examination of the factors that may indicate the injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on the prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent the price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as the production, the capacity utilization, the sales volume, the inventory, the profitability, the net sales realization, the magnitude and the margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

H.3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand / apparent consumption

- 55. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or the apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of Indian producers and the imports from all the sources.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	559	372	270
Sales of Other Producer	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed				
Subject Country- China	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	114	136
Imports from Other Countries	MT	15	165	194	0
Trend	Indexed	100	1100	1293	0
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>144</i>	<i>146</i>

56. It is seen that there is a significant increase in the demand for the product over the injury period. The Authority notes that the products are consumed in the commercial and the residential air conditionings and the demand for the R-410 has increased because the product has replaced R22 which is gradually being phased out.

b. Import Volumes from the subject country

57. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to the production or the consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from the DGCI&S. The factual position is as follows.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Country- China	MT	4,840	4,192	5,516	6,580
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>87</i>	<i>114</i>	<i>136</i>
Subject Country Imports in relation to					
Total Imports	%	100%	96%	97%	100%
Indian Production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>14</i>	<i>17</i>	<i>37</i>
Consumption	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>75</i>	<i>79</i>	<i>93</i>

58. The is seen that:
- The volume of the imports from the subject country declined in 2017-18 but increased thereafter over the injury period. The subject imports constitute 100% of the total imports of the subject goods into India in the period of investigation.
 - The imports from the subject country in relation to the Indian production and the Indian consumption had declined in 2017-18 but increased thereafter in 2018-19 and the period of investigation.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

59. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, the price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

a. Evolution of the import prices over the injury period

Month	Rate (Rs/MT)
2016-17	1,87,206
2017-18	2,51,090
2018-19	2,96,398
Apr'19	2,52,714
May'19	2,36,455
June'19	2,16,122
Jul'19	2,20,133
Aug'19	2,19,193
Sep'19	1,95,807
Oct'19	1,85,944
Nov'19	1,65,583
Dec'19	1,75,993
Jan'20	1,63,617
Feb'20	1,56,581
Mar'20	1,65,460

60. It would be seen that the import price of the product under consideration had declined over the injury period. Further, the import price from the subject country has declined on monthly basis as well.

b. Price undercutting

61. For the purpose of the price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows: -
62. The Authority has calculated the separate price undercutting for the packed and the unpacked forms in view of the submissions made by the interested parties and the significant difference in the costs of the packed and the unpacked product.

Price Undercutting – POI	Unit	Total	Unpacked	Packed
Net Selling Price of DI	₹/MT	***	***	-
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-
Landed price (Subject Country China PR)	₹/MT	2,10,519	2,10,519	-
Price undercutting	₹/MT	***	***	-
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-
Price undercutting	%	***	***	-
Price undercutting	<i>Range</i>	<i>35-45</i>	<i>35-45</i>	-

63. It is seen that there are no imports of the product under consideration in the packed form. Further, the Chinese imports are undercutting the prices of the domestic industry. The extent of the price undercutting is quite significant.

c. Price suppression and depression

64. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress the prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and the prices over the injury period have been examined. The table below shows the factual position.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales – Domestic Industry	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>98</i>	<i>83</i>
Net Selling Price - Domestic Industry	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>126</i>	<i>104</i>
Landed Price	₹/MT	2,01,668	2,70,487	3,20,851	2,10,519
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>134</i>	<i>159</i>	<i>104</i>

65. It is seen that-

- The landed price of the imports increased over the injury period but declined in the period of investigation.
- Whereas the cost of sales of the domestic industry declined in 2017-18, it increased in 2018-19 and declined again in the period of investigation.
- Throughout the injury period, the landed price of the imports has been below the cost of production in India. Resultantly, the domestic industry was forced to reduce its selling price below the cost of sales.

66. It is thus noted that subject imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry in the market.

H.3.3. Economic parameters of the domestic industry

67. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

68. The Authority has examined the injury parameters objectively, taking into account the various facts and arguments made by the interested parties.

i. Production, capacity, capacity utilization and sale

69. The capacity, production, sales and the capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>216</i>
Production Quantity PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>344</i>	<i>230</i>	<i>218</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>270</i>	<i>181</i>	<i>101</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>558</i>	<i>372</i>	<i>269</i>

70. It is seen that:

- The domestic industry has two plants for the manufacturing of the product under consideration. The manufacturing of HFC Blends in Bhiwadi Plant was commenced in the year 2016-17 which is the base year of the injury period and the production at Dahej Plant started during the period of investigation. The installed capacity of the domestic industry was increased in 2017-18 and further again in the period of investigation.
- The domestic industry has expanded the capacity and submitted that the same was in view of the present and potential demand for the product in the country. However, the capacity expansion has been undertaken in Dahej. Further, whereas the Bhiwadi plant was of *** MT annually, the Dahej plant has been set up with a capacity of almost *** MT annually since it started the commercial production since November, 2019 ($*** / 12 * 5 = ***$ MT for POI).
- The capacity utilization increased in 2017-18 but declined thereafter over the injury period and the POI. It has been significantly low throughout the injury period.
- The company commenced commercial production on 27th March, 2016. The production was quite low in 2016-17; increased in 2017-18 but declined thereafter despite capacity additions in the period of investigation. The capacity utilization, however, declined once again in the period of investigation.
- The domestic sales of the domestic industry increased in 2017-18 and declined significantly thereafter.

ii. Market share in Demand

71. The market share of the domestic industry is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>484</i>	<i>257</i>	<i>185</i>
Other Indian producer	%	-	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	-	<i>100</i>	<i>246</i>	<i>64</i>
Imports from China PR	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>75</i>	<i>79</i>	<i>93</i>
Other Countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>964</i>	<i>907</i>	<i>0</i>
Total	%	100	100	100	100

72. It is seen that the market share of the domestic industry increased in 2017-18 and declined thereafter in 2018-19 and further in the period of investigation. The market share of the imports from the subject country declined in 2017-18 but increased thereafter. The market share of the imports has remained significantly high throughout the injury period. The imports from the subject country have captured the market share of the domestic industry.

iii. Inventories

73. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>247</i>	<i>190</i>	<i>195</i>
Closing Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>79</i>	<i>121</i>
Average Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>111</i>	<i>142</i>

74. It is seen that the inventories with the domestic industry have increased in 2017-18, declined in 2018-19 and increased significantly thereafter in the period of investigation.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

75. The profitability, the cash profits and the return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below. Further, in view of the arguments of the interested parties that profits have declined due to increase in the interest and the depreciation costs, the profitability has also been examined by considering the profit before interest and the depreciation. The Authority notes that while increase in the interest and the depreciation might lead to decline in the net profit, the profit before interest and the depreciation cannot get impacted by the alleged increase in the interest and the depreciation. Further, the Authority examined the reasons for the increase and the depreciation and whether the costs on these accounts are significantly high when compared to the gross cost of production.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>-100</i>	<i>3</i>	<i>-52</i>	<i>-50</i>
Profit/Loss	₹ Lacs	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>-100</i>	<i>19</i>	<i>-195</i>	<i>-134</i>
Cash Profit	₹ Lacs	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>-100</i>	<i>38</i>	<i>-189</i>	<i>-122</i>
PBIT	₹ Lacs	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>-100</i>	<i>33</i>	<i>-198</i>	<i>-129</i>
Return on Capital Employed	%	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>-100</i>	<i>31</i>	<i>-169</i>	<i>-25</i>

76. It is seen that –

- The domestic industry has been suffering losses throughout the injury period. The profitability has been negative throughout the injury period.
- The domestic industry suffered financial losses, negative PBIT, cash losses and negative return on the capital employed throughout the injury period and the period of investigation.
- The profit before tax declined in the POI and the domestic industry suffered financial losses.
- The return on the capital employed was negative in the period of investigation. It is seen that the performance of the domestic industry declined in respect of the profit after interest and profit before interest and depreciation. It is thus evident that the decline in profits, cash profits and ROI is not largely due to increase in the interest and the depreciation.
- The Authority examined the reasons for so significant decline in profits, cash profits and ROI. It is noted that while some marginal decline could be attributed to increase in the interest and the depreciation costs, the decline in profits, cash profits and ROI is primarily due to the decline in the selling prices.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling price - Domestic	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>126</i>	<i>104</i>
Cost of sales – Domestic	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>98</i>	<i>83</i>
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	(***)	***	(***)	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>3</i>	<i>-52</i>	<i>-50</i>
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>119</i>	<i>184</i>
Interest	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>49</i>	<i>59</i>	<i>98</i>

v. Employment, wages and productivity

77. The employment, the wages and the productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>205</i>	<i>184</i>	<i>167</i>
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>84</i>	<i>73</i>	<i>72</i>
Wages Per Unit	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>80</i>	<i>77</i>
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>407</i>	<i>313</i>	<i>303</i>
Productivity per day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>344</i>	<i>230</i>	<i>218</i>

78. It is seen that
- The wages paid increased in 2017-18 but declined thereafter over the injury period and the POI.
 - The number of employees has been continuously declining over the injury period.
 - The productivity per employee increased in 2017-18 and declined thereafter in 2018-19 and in period of investigation. The productivity per day increased in 2017-18 but declined thereafter over the injury period and the POI.
79. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

vi. Growth

80. The growth of the domestic industry in terms of the production, the capacity utilization, the domestic sales volume, the inventories, the profits, the cash profits and the return on investment is as per given in the table below-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	Y/Y	-	244%	-33%	-5%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>		100%	-14%	-2%
Domestic Sales	Y/Y	-	458%	-33%	-27%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>		100%	-7%	-6%
Profit/Loss	Y/Y	-	-119%	-1147%	-31%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>		100%	964%	26%
ROCE	Y/Y	-	-131%	-650%	-85%
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>		100%	496%	65%

81. It is seen that the growth of the domestic industry was negative in almost all the macro injury parameters during the POI. Further, the growth of the domestic industry in respect of the volume parameters was below the optimal levels considered by the Authority. The Authority has determined the NIP of the domestic industry by considering the capacity utilisation of 100%. The domestic industry has however achieved a capacity utilisation of only 13% in the period of investigation.

vii. Magnitude of Dumping Margin

82. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant in the investigation period.

viii. Ability to raise capital investment

83. It is seen that the domestic industry has faced financial losses, cash losses and a negative return on the capital employed in the POI, which has weakened its ability to raise the capital investment.

ix. Factors affecting domestic prices

84. Whereas the landed price of the imports increased till 2018-19, the same has declined in the period of investigation. Further, the selling price of the domestic industry has also declined in the period of investigation. It is thus seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. It is also seen that the landed value of the subject goods is below even the cost of production of the domestic industry. The domestic industry submitted that it was not able to retain even the current prices in view of the lower price of the imports and resultant increasing imports. The price depression or suppression suffered by the domestic industry is due to the lower price of the imports. Therefore, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country.

x. Magnitude of price underselling/injury margin

85. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and the utilities have been considered over the injury period. The best utilisation of the production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
86. The landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price determined for the purpose of the dumping margin determination. The applicable customs duties have been added to determine the landed price of the imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
87. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin for the producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin Table

S. N.	Producer	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range)
1.	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.	***	***	***	***	85-95
2.	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
3.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	45-55

4.	M/s. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd	***	***	***	***	65-75
5.	Zhejiang Sanmei Chemical Industries Co., Ltd.	***	***	***	***	65-75
6.	All Others	***	***	***	***	90-100

H.3.4. Analysis of Injury

88. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the dumped imports from the subject country has declined in 2017-18 but increased thereafter in absolute terms and has remained significant in relative terms over the injury period. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry. The imports from the subject country are suppressing the prices of the domestic industry. The capacity utilization of the domestic industry has declined significantly in the POI. The domestic industry has been suffering significant financial losses, cash losses and the negative return on the capital employed. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered the material injury.

I. CAUSAL LINK AND THE NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

89. The Authority has examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. The factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and the prices of the imports not sold at the dumped prices, the contraction in demand or the changes in the patterns of the consumption, the trade restrictive practices of and the competition between the foreign and the domestic producers, the developments in the technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than the dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and value of imports not sold at dumped prices

90. The imports from China PR constitute 100% of the total imports of the subject good into India in the POI. There are no other countries exporting the subject good to India during the POI.

b. Contraction in demand

91. The demand of the subject good has consistently increased during the injury period and the period of investigation. In fact, considering the present and potential demand for the product in the country, the company has announced further expansion of the production capacities. The Authority notes that the domestic industry is fully capable of meeting the demand for the product in the country.

c. Changes in pattern of consumption

92. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration. Rather, the pattern of consumption is improving in favour of the product as is evident from the rising consumption in the country and accelerated phase down of the earlier used refrigerant (HCFC-22). Hence, the changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

93. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or the trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

94. No evidence has been brought forward by any interested parties about the existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. Further, the domestic industry has set up first plant in 2016 and second plant in 2019.

f. Export performance of the domestic industry

95. The Authority has considered the data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, the export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

96. The domestic industry has provided the injury data of the PUC's performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of the injury analysis. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.
97. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumped imports of the subject goods and the injury to the domestic industry.

Conclusion on the Injury and Causal Link

98. The Authority determines to conclude that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to the other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to the subject dumped imports:
- The import price for the product under consideration increased between 2016-17 to 2018-19. The import price, however, declined steeply in the period of investigation. As a result of the steep decline in the import price, the selling price of the domestic industry increased in 2018-19 and then declined in the POI. As far as the selling price of the domestic industry in 2016-17 is concerned, the Authority notes that the volume of sales was quite low and constituted primarily the initial pricing offered by the domestic industry.
 - Despite the price reduction by the domestic industry, the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of imports is not only below the selling price of the domestic industry but also the cost of sales.
 - The imports have a significant suppressing effect on the prices of the domestic industry.
 - The adverse impact of the imports on the selling price of the domestic industry has led to a significant decline in the profitability. Resultantly, this has caused a significant deterioration in the profits, the cash profits and the return on the capital employed. The domestic industry is suffering the financial losses, the cash losses and the negative returns in the POI.
 - The growth of the domestic industry has become negative in several economic parameters.
99. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumped imports of the subject goods and the injury to the domestic industry.

J. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS**J.1. Submissions by the other interested parties**

100. The submissions of the other interested parties are as follows:

- All volume parameters of the domestic industry have shown stupendous growth which are commensurate with the increase in the capacity and the demand for the product. Thus, the imports did not create any volume injury.
- The domestic industry suffered financial losses throughout the injury period and the POI except in 2017-18. The reduced loss in the POI as compared to the previous year vitiated the claims of material injury due to the subject imports. The losses in an improving trajectory of performance cannot be considered as a ground to establish the material injury.
- The ROCE and profitability parameters recorded growth during the POI over the previous years. As such, the DI did not suffer injury during the POI. Rather the situation was improving with DI's enhanced capacity. The improvement in volume and price parameters during the POI over the previous year indicate a breach of causal link, as robust growth is recorded during the POI.
- The name of the producer is Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd., and requires correction in the dumping margin and injury margin tables.
- No examination/analysis or finding has been made on the NCV petition of the domestic industry not being a replica of the confidential version and failing to meet the obligation under Trade Notice No. 1 of 2019 or on using the import data for 11 months of the POI. The import data for the POI and other parameters should be corrected by considering it for the whole POI of 12 months.
- Despite repeated requests, the DGCI&S data has not been provided to the interested parties.

- g. Disregarding the details of the Chinese companies when determining the normal value will nullify the provisions of the Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol. The normal value for the respondent company should be determined on the basis of costs submitted by them which reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. No details regarding the proposed determination of normal value for Chinese producers has been disclosed or provided.
- h. There is no objective examination of the material injury caused to the domestic industry in the current investigation. All the submissions on how the domestic industry has not suffered any injury due to the alleged imports have not been included, examined, or analysed in the disclosure statement.
- i. The figures of interest and depreciation have not been given in the disclosure statement whereas they are part of the application proforma.
- j. Absence of examination or analysis on the submissions on non-attribution analysis in the disclosure statement leads to the conclusion that injury is not due to the alleged imports but due to the impact of the other factors. There is no causal link between the alleged imports and the injury to the domestic industry. There is no causal link between the alleged imports and the injury to the domestic industry.
- k. The disclosure statement overlooked the post-COVID situation where there have been significant changes in the market conditions leading to imbalance in the demand and the supply. The subject imports were in sync with the trends of consumption, and the recovery of demand in the Indian market led to increase in the subject imports.
- l. The import price from China in June, 2021 is higher than the peak price of the POI. The increase in the imports post POI proves that despite doubling the Indian capacity during the POI, there is a demand-supply gap in the post POI period.
- m. The positive performance of SRF Limited as evidenced by the financial results for Q4 of 2020 and FY21 demonstrates that the DI is not suffering from any injury.
- n. There are inconsistencies and errors in the trend of Indian production in the disclosure statement, leading to wrong determination. There is significant inaccuracy in the company-wide economic parameters provided by SRF Limited in HFC R-32 and HFC Blends investigation.
- o. The dumping and injury margin determined are inflated and no appropriate comparison has been made between the Export price- Normal value and Non-Injurious Price- Landed value. It is requested that a bulk-to-bulk comparison be made to determine the margins with separate analysis for packed and unpacked forms of the PUC.
- p. The constructed normal value and the NIP is excessively high and undue/inflated dumping and injury margin will lead to monopolistic market that harm the competitive environment and deprive the domestic chemical industry of competitively priced, good quality of the product under consideration.
- q. The weightage average ex-factory export price and landed value computed for Sinochem group is incorrect. The ex-factory export price and landed value for both the participating producers/exporters is to be computed separately and then the weightage average ex-factory export price and landed value is to be computed for Sinochem group.
- r. The dumping margin and the injury margin should be determined based on quarterly analysis of the prices, due to significant fluctuation in the prices in different quarters of the period of investigation. The quarterly analysis for determination of the dumping and injury margin was conducted in the Sunset Review of anti-dumping duty on Viscose Staple Fibre from China PR and SSR investigation on Phenol from EU and Singapore.
- s. The respondents exported to India only in the second and third quarter of the POI and, therefore, reflect a lower export price. The current determination of the Authority does not reflect a fair comparison due to the absence of the quarterly analysis.
- t. The rate of increase in the imports from China PR is much lower than the rate of increase in the demand. There is improving trend in the injury parameters of the domestic industry including production, sales volume, capacity, and capacity utilisation. The increase in the inventory is insignificant considering the increase in overall sales volumes of the domestic industry.

- u. The trend of overall increase in the interest cost and depreciation has not been disclosed in the disclosure statement. The increase in depreciation cost and finance cost is the primary reason for decline in the profitability of the domestic industry. Reference is placed on the Safeguard investigation finding on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series and Anti-subsidy investigation on the imports of Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers.
- v. The decreased import price in the POI is because of consistent reduction of the Respondents' cost of sales during the injury investigation period.

J.2. Submissions by the domestic industry

101. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- a. The questionnaire responses/submissions filed by Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd., MPCL Industries Ltd. and K.D. Sons should be disregarded as they failed to provide any non-confidential version and the parties should be held non-cooperative.
- b. As regards the constructed normal value, wherever captive inputs are involved, reasonable profits are to be added to the captive inputs. The international raw material price may also be adopted.
- c. Since no users or OEM or user associations have filed any verifiable information shows that there will be no significant or adverse impact on them.
- d. The imposition of the duties will arrest the decline in the performance of the industry, redress the injury suffered and enable the domestic producer to remain viable and competitive and, therefore, in the interest of the consumers and the public at large.
- e. If the current situation continues, the industry will face further injury and eventually be wiped out, giving Chinese producers' increased leverage, and the consumers will be left at their mercy. The procurement from the domestic industry is advantageous to consumers in terms of lower inventory levels and better after-sales service.
- f. China's obligations to fulfil its commitments to the Kigali Amendment to the Montreal Protocol even before India's timelines only provides more incentive for China to dump the product under consideration so as to build a higher baseline before the phasing down begins.
- g. The domestic industry has increased the capacities to cater to the existing demand and has also planned to install more capacities to meet the rising demand. Anti-dumping duty will provide a level playing field not only to the domestic industry but also encourage the imports from USA and Japan, leading to healthy competition.
- h. The imposition of the duties is also consistent with the policy of the Government of India as the Central Government has been promoting the domestic manufacturing of air conditioners in the country through various policy measures.
- i. The increase in the investments by the domestic industry will only lead to more employment, thereby benefitting the Indian economy as a whole. Further, it is of strategic importance for the country to have the viable and environment friendly substitutes before the phase down of HFCs starts in the year 2032, which will only be possible if the industry is protected from dumping.
- j. It is in the country's interest as a whole to balance development within the country while also achieving its sustainable development goals. The failure to protect the domestic HFC industry will leave a weak link in the AC manufacturing supply chain and is likely to be exploited by the Chinese manufacturers.
- k. Indigenous manufacturing helps ensure price stability of the product in the market, seamless supply, dependability on a reliable partner, import substitution, reduced foreign trade risk and growth of the downstream industries.
- l. Due to the widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on the domestic production capacities and reduce the import dependence. India's trade balance already shows a deficit. If duty is not imposed, the imports will increase and thus further negatively impact the foreign exchange reserves of India.
- m. The domestic industry is backward integrated and has made significant investments in the product under consideration. Therefore, there is a significant value addition done in the captive inputs.

- n. Since the normal value is based on the `data of the domestic industry, the same should be disclosed. The Authority should disclose the non-confidential version of the communication sent to the `participating exporters and replies, if any, post filing of the questionnaire responses and the verification reports.

J.3. Examination by the Authority

102. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:

- a. As regards the argument on injury, confidentiality, the DGCI&S data and the market economy status of China PR, the same is addressed by the Authority in the relevant paragraphs of these findings.
- b. As regards the argument of post COVID impact, the Authority notes that the period of investigation in the present investigation is April, 2019 to March, 2020 which is a period not impacted by COVID-19. The present case being a fresh investigation, the Authority has analysed the dumping and injury for the period of investigation only.
- c. As regards the argument on the statements in the annual reports, the Authority notes that SRF manufactures around 71 products. The consolidated statement in the annual report is not reflective of the performance of the product under consideration. Further, the injury analysis carried out in the relevant paragraphs of these findings is self-explanatory to establish that the dumping has caused continued injury to the domestic industry. Further, the public statements like the annual reports of the company do not alter the conclusion that dumping of the product has caused injury to the domestic industry
- d. As regards the argument of the errors in the trend of Indian production, the Authority notes that there is no error in the figures. The opposing interested parties are comparing imports in relation to the total Indian production with growth in Indian production, which cannot be similar.
- e. As regards the argument of inaccuracy in the company-wide economic parameters provided by SRF Limited in HFC R-32 and HFC Blends investigation, the Authority notes that the injury analysis is based on the verified information of the domestic industry.
- f. As regards the comparison on packed and unpacked forms of the PUC, the Authority notes that dumping margin and injury margin has been compared for packed and unpacked forms.
- g. As regards the arguments by the interested parties regarding the calculation of the normal value, the Authority notes that the normal value for China PR has been constructed in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules. Further, none of the interested parties during the investigation provided any alternative methodology for calculation of the normal value.
- h. As regards the calculation of weightage average ex-factory export price and the landed value computed for Sinochem group, the Authority notes that the same has been calculated as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority.
- i. As regards the quarterly examination, it is noted that the mere decline in the selling price does not mean a need for quarterly determination. The interested parties have to establish that the normal value has also materially changed with time period. As regards the disclosure of interest and depreciation, it is noted that interest and depreciation are mandatory injury parameter under Annexure II. With regard to the argument that the reasons of decline in the profitability is due to increase in interest and depreciation costs, it is also seen that the performance of the domestic industry declined in respect of profit before interest (ROI) and profit before depreciation (cash profits).
- j. As regards the inability of the domestic industry to meet the demand-supply gap in the country, the Authority notes that the domestic industry has increased capacity from *** MT during 2016-17 to *** MT during period of investigation as against the demand of *** MT. There is no demand supply gap in the country. Further, the capacity utilization of the domestic industry is low in the period of investigation and it declined as compared to the preceding year. The domestic industry

had the potential to cater to the much higher degree of demand in India. However, due to dumping of the product under consideration, the domestic industry was faced with unutilized capacity and had a much smaller share in the domestic market as compared to the Chinese imports. In any case, a possible demand-supply gap does not justify dumping of the product under consideration, particularly when such dumping is causing injury to the domestic industry.

- k. The name of Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. has been corrected in the dumping margin and injury margin table in these final findings.
- l. As regards the calculation of NIP, the Authority notes that the determination has been made as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority.
- m. M/s. MPCL Industries Ltd and M/s. Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. failed to circulate the non-confidential version of their responses/submissions to the other interested parties. However, the Authority has considered the arguments of all the interested parties in the present finding. As regards K.D. Sons, the party has failed to establish whether its participation in the present investigation is as a user or as an importer.

K. INDIAN INDUSTRY INTERESTS AND OTHER ISSUES

103. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of the anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
104. The Authority considered whether the imposition of the ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty on the imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on the consideration of the information on record and the interests of the various parties, including the domestic industry, the importers and the consumers of the product.
105. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including the importers, the consumers and the other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide the relevant information with regard to the present investigations, including possible effect of the ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, interchange ability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, the effect of the ADD on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the ADD.
106. Two importers, namely, M/s. MPCL Industries Ltd. and M/s. Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. have responded to the present investigation. M/s. MPCL Industries Ltd. and M/s. Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. failed to circulate the non-confidential version of their responses/submissions to the other interested parties. However, the Authority has considered the arguments of all interested parties in the present finding. As regards K.D.Sons, the party has failed to establish whether its participation in the present investigation is as a user or as an importer. None of the users, OEMs or user Associations have opposed to the present investigation. Nor these parties have claimed that there shall be adverse effect of the proposed ADD on the public at large, or even their operations. As already noted in these findings, none of these importers have provided any verifiable information to demonstrate the effect of the anti-dumping duty on the consumers. Further, in this regard, the Authority re-iterates that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

107. Even though the Authority has prescribed the formats for the users to quantify the impact of the ADD and elaborate how the imposition of the ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided the relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established the impact of the ADD on the user industry with verifiable information. Further, the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is meagre.
108. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence in their post oral hearing written submissions that the inputs for producing the PUC are produced globally. It is noted that the product is under free category and, therefore, can be freely imported from the various countries. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from China in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would neither affect the availability of the product to the consumers nor create monopoly.
109. USA has also investigated the imports of the product under consideration into USA from China PR. USA imposed a significant quantum of the duties on the said imports, on finding that the imports are causing material injury to their domestic industry.
110. The Authority notes that the product is consumed mainly in residential and commercial air conditioning and the domestic industry has stated that a surge is projected in the domestic AC production and India is likely to witness a robust growth in HFCs in the next decade due to robust growth in Air Conditioner market, coupled with substitution of HCFC 22 with HFC 32 & HFC 410A. The domestic industry has increased the capacity from *** MT during 2016-17 to *** MT in 2018-19, *** MT as of March 2020. There is no demand supply gap in the country.
111. India is in the process of phasing out HCFC-22 which is likely to be replaced by the product under consideration which has a zero-ozone depleting potential (ODP). In addition, India has also approved the ratification of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol, which aims at phasing down HFCs, which are regulated products under the Protocol and thereby reducing carbon footprint. As per the Protocol, India is not allowed to install any new HFC capacity beyond the year 2023. Further, India is not required to begin the phasing down before 2032. However, the demand for the product is expected to grow at a healthy pace for the next 10-12 years. In view of the rising demand for HFCs and restriction imposed under the Protocol for expansion after 2023, there is an immediate need to add fresh capacities in the country. The failure to add sufficient capacities during the next two years will force the domestic consumers and the domestic industry to become dependent on China for all the time to come. Thus, the Indian industry will have to complete any capacity expansion before these deadlines. Fair market opportunities are not only necessary but also desirable on this account.
112. Further, the capacity utilization of the domestic industry is low in the period of investigation and it declined as compared to the preceding year. The domestic industry had the potential to cater to the much higher degree of demand in India. However, due to the dumping of the product under consideration, the domestic industry was faced with unutilized capacity and had a much smaller share in the domestic market as compared to the Chinese imports. The Authority also notes that even when there are significant capacities in US and Japan, there are no imports from these countries in the POI. The domestic industry contended that the dumping by the Chinese producers has prevented these countries from selling in the Indian market.
113. It is noted that the interested parties have not demonstrated how the prices of the subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry has submitted that the cost of product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. For example, assuming that an air conditioner of a capacity of 1 Ton costs in the range of Rs. 20,000 to 40,000. The amount of HFC Blends used in the air conditioner would be less than 1 kg. Assuming that 1 kg of HFC Blends costs around Rs. 300, the cost of the product under consideration on the end-consumer of the final product is very meagre. The interested parties contended that use of the product is not on one time basis and there are multiple refills. The Authority, however, notes that if the entire cost of the product in an AC is just Rs. 300, even costs on account of refill are not significant.

114. It is, thus, noted that the interested parties have not established possible adverse impact of the proposed ADD on the user industry with verifiable information. Thus, even if it is considered that the imposition of the ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, the impact of the antidumping duty on the eventual product would be grossly insignificant. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of the anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by the dumping practices; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of a wider choice to the consumers of the subject goods.
115. The Authority further notes that the recommendation for the imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. The interested parties contended that the domestic industry has been using trade defence quite often. It is, however, noted that the domestic industry has reported that it is engaged in the production of 71 products and is at present protected by the ADD in 4 products. The ADD earlier in force on the imports of nylon tyre cord fabric and methylene chloride from China is no longer in force.
116. From the information on record, it is also noted that the impact of the anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration and the Authority is of the view that the imposition of the anti-dumping duty will be in the public interest.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

117. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a. The Applicant constitutes the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The product produced by the domestic industry is the like article to the product under consideration imported from the subject country.
 - c. The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation.
 - d. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined, and the margins are significant.
 - e. The domestic industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the dumped imports from the subject country has declined in 2017-18 but increased thereafter in absolute terms and has remained significant in relative terms over the injury period. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry. The imports from the subject country are suppressing the prices of the domestic industry. The capacity utilization of the domestic industry has declined significantly in the POI. The domestic industry has been suffering significant financial losses, cash losses and the negative return on the capital employed.
 - f. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.
 - g. Despite providing all formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate on how the imposition of the ADD will adversely impact them, none of the users have provided the relevant information. The interested parties have not established impact of the ADD on the user industry with verifiable information. Non-imposition of the anti-dumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned and the fact that the impact of the antidumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in the public interest.
118. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of the dumping, the injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link

in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the dumping and the injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

119. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the antidumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S. N.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	38247800	Hydrofluorocarbon Blends	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.	2,160.27	MT	US\$
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	1,620.60	MT	US\$
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	1,553.45	MT	US\$
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd	1,837.14	MT	US\$
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd.	1,899.68	MT	US\$
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than S N 1. to 5.	2,250.56	MT	US\$

7.	-do-	-do-	Any other country other than country attracting anti-dumping duty	China PR	Any	2,250.56	MT	US\$
----	------	------	---	----------	-----	----------	----	------

M. FURTHER PROCEDURE

120. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate Forum in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority